



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2013/चैत्र 1, 1935

No. 81]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2013/CHAITRA 1, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 13 मार्च, 2013

बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि./18/76/2013.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ-पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी, 64एएम और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, एतद्वारा बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1.(i) ये विनियम बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएँगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :

(i) विनियम 2 में निम्नलिखित नये खंड निविष्ट किये जाएँगे :

(गक) सह-सदस्य : निरंतर आठ वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पैब लाइसेंस धारण करनेवाला और विनियम 14(1)(H) में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करनेवाला कोई भी लाइसेंसधारी सदस्य।

(गख) कॉरपोरेट सर्वेक्षक से सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसप्राप्त, एलएलपी अधिनियम 2008 के अधीन निर्गमित एलएलपी (सीमित देयता वाली भागीदारी)सहित, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्गमित कंपनी अथवा भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन बनाया गया फर्म अभिप्रेत है।

(घक) फेलो सदस्य :

निरंतर 8 वर्ष से अन्वय अवधि के लिए वेब लाइसेंस धारण करनेवाला और विनियम 14ए(1)(ii) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाला कोई भी सह-सदस्य ।

(घक) "संस्थान" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 के अधीन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निर्गमित भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निवारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) अभिप्रेत है ।

(घक) लाइसेंसधारी सदस्य : सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वेब लाइसेंस धारण करनेवाला तथा विनियम 14ए(1)(ii) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाला कोई भी व्यक्ति ।

(घख) "सदस्य" से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है तथा इसमें छात्र सदस्य, लाइसेंसधारी सदस्य, सह सदस्य और फेलो सदस्य शामिल हैं ।

(घग) "सर्वेक्षक और हानि निवारक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो संस्थान का सदस्य है तथा सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है ।

(घघ) "छात्र सदस्य" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो संस्थान का सदस्य है तथा सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षा करने हेतु बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास प्रशिक्षणार्थी के रूप में अपना नाम दर्ज करवाता है ।

(घङ) सर्वेक्षक के सदस्य स्तर से इन विनियमों के विनियम 14ए में निर्धारित मानदंडों के अन्वय पर सदस्य को संस्थान द्वारा आर्बिट्रर स्तर अभिप्रेत है ।

3. लाइसेंसिकरण की प्रक्रिया

(1) विनियम 3 की निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो संस्थान का छात्र सदस्य है तथा साधारण बीमा कारोबार के संबंध में सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक है, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-1-एएफ में लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण सर्वेक्षक और हानि निवारक (एसएलए) के रूप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन पर विचार करते समय सर्वेक्षक और हानि निवारक के कर्तव्यों, दायित्वों और कार्यों से संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखेगा और स्वयं संतुष्ट होगा कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक एक योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है । विशेष रूप से और पूर्वोक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण इस बात से स्वयं संतुष्ट होगा कि आवेदक अधिनियम की धारा 42डी और बीमा नियम, 1939 के नियम 56ए के साथ पठित धारा 64 चूएफ की सभी अपेक्षाएँ पूरी करता है तथा इन विनियमों के विनियम 3ए में निर्धारित पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है ।

क. आवेदक सदस्यता के लाइसेंसधारी स्तर के लिए लागू शुल्क ऑनलाइन नेट बैंकिंग/आरटीजीएस/एनईएफटी/बाँग ड्राफ्ट (डीडी)/(आईआरडीए के नाम हैदराबाद में देय) के माध्यम से अदा करेगा और भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

ख. संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज (ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उसके बाद हार्ड प्रति भेजी जा सकती है) :

क) सभी प्रकार से क्लिक्ड भरे गये फार्म-आईआरडीए-1एएफ में आवेदन ।

ख) छात्र सदस्यता संख्या, जारी करने का दिनांक आदि निर्दिष्ट करते हुए संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति ।

ग) हाल में लिये गये फोटो की प्रति- 1

घ) पीएन की प्रति

ङ) निवास के प्रमाण की प्रति

च) अर्हता का प्रमाण

- ख) प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र की प्रति
 ग) तिमाही रिपोर्टों की प्रति (4 तिमाहियाँ)
 घ) इन विनियमों के विनियम 16 के अंतर्गत व्यवस्थित रूप में सर्वेक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण के तौर पर अंक पत्रक (मार्क शीट) की प्रति
 ङ) नियोजक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि नियोजित हो
 च) फार्म-आईआरडीए-1एफ की क्रम संख्या 3 के अंतर्गत बताये गये रूप में शपथपत्र (ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करते समय सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)
 छ) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" के आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा
 झ) यदि शुल्क का भुगतान डीडी से किया गया हो तो मॉग ड्राम्ट
 ङ) यदि शुल्क का भुगतान आरटीओएस/एनईएफटी के माध्यम से किया गया हो तो आरटीओएस/एनईएफटी द्वारा शुल्क के भुगतान का विवरण
 ण) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किया जानेवाला कोई अन्य दस्तावेज/सूचना
 (क्रम संख्या ग से ज तक निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरी द्वारा प्रमाणित होंगी)

ग. प्रकटीकरण :

- i) एक घोषणा प्रस्तुत करेगा/करेगी कि वह प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई सूचना में कोई भी परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन होने के 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास दायित्व करेगा/करेगी तथा आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-17 एफ में आवेदन प्रस्तुत करेगा/करेगी। प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया लाइसेंस (मूल रूप में) आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अम्बर्षित किया जाएगा।
 ii) ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करता/करती है जैसी कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जा सकती है
 (3) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक पात्र है, संस्थान द्वारा प्रदत्त सदस्यता के स्तर, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सर्वेक्षक विनियमों के विनियम 3(2)के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में उनकी तकनीकी/व्यावसायिक/बीमा योग्यता और अन्य योग्यताओं के आधार पर आशोधित साधारण बीमा व्यवसाय के विशिष्ट वर्ग/विभाग अथवा विषय अर्थात् फायर, भरीम कार्गो, भरीम हल, इंजीनियरिंग, मोटर, मिसिलेनियस, फसल बीमा और लाभ की हानि का उल्लेख करते हुए, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-2-एलएफ में लाइसेंस प्रदान करेगा

3ए. पात्रता मानदंड

- i) योग्यताएँ (निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक) :
 क) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी के साथ मठित धारा 64यूएम के अंतर्गत बताई गई एक या उससे अधिक योग्यताएँ,
 ख) बीमा नियम, 1939 के नियम 56ए के अंतर्गत बताये गये रूप में अतिरिक्त तकनीकी योग्यताएँ
 ग) आई.आई.आर.एम. से साधारण बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
 घ) पान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में बी.एससी.
 ङ) ऐसी अतिरिक्त तकनीकी योग्यता जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
 च) संस्थान का/की "छात्र/सदस्य" होगा/होगी।
 ii) प्रशिक्षण :
 क) विनियम 16(1) में विनिर्दिष्ट रूप में बारह महीने में अन्यून अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण
 ख) ऐसा अन्य प्रशिक्षण जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकता है।
 स्पष्टीकरण : उपर्युक्त (ii)(क) में बताये गये अनुसार सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

iii) परीक्षा :

भारतीय बीमा संस्थान अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा संघालित सर्वेक्षक की परीक्षा के संबंधित प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करना।

स्पष्टीकरण : सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समय ऐसी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है जो उपर्युक्त (iii) में बताई गई है।

उसी. सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय विभाग/कार्यक्षेत्र का आबंटन समय-समय पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगा।

(4) ऐसा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, जिसका लाइसेंस किसी भी कारण से निरस्त अथवा निलंबित किया गया हो, लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन इस प्रकार के निरस्त अथवा निलंबन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत कर सकता है तथा इस प्रकार के आवेदन को एक नया मामला माना जाएगा और तदनुसार आवेदक उप-विनियम (2) की सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा।

(5) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक इन विनियमों के अध्याय V में विनिर्दिष्ट रूप में संस्थान में सदस्यता के स्तर के अधीन होगा।

(6) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के प्रारंभ से पहले जारी किये गये लाइसेंस के संबंध में यह माना जाएगा कि वह इन विनियमों के अनुसार जारी किया गया है।

(H) विनियम 4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

(1) नया कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन और संबंधित मामले

i) जहाँ आवेदक कारपोरेट सर्वेक्षक के लिए आवेदक है, वहाँ प्राधिकरण स्वयं इस बात से संतुष्ट होगा कि आवेदक सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी और बीमा नियम, 1939 के नियम 56ए के साथ पठित धारा 64एएम की लागू सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा तथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इन विनियमों के विनियम 3ए में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप होगा।

बशर्ते कि कोई भी निदेशक अथवा साझेदार बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(4) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त न हो।

ii) कंपनी/फर्म में किसी भी समय कम से कम दो निदेशक/साझेदार ऐसे होंगे जो संस्थान के सदस्य हों तथा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हों। उनके वैयक्तिक सर्वेक्षक लाइसेंस के अंतर्गत निदेशक/साझेदार का विभाग और सदस्यता का स्तर कंपनी/फर्म का विभाग और सदस्यता का स्तर बनेगा। कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की अपेक्षा करनेवाली कंपनी/फर्म के निदेशक/साझेदार के रूप में नियुक्त कोई भी लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक केवल आवेदक कंपनी/फर्म के निदेशक/साझेदार की हैसियत से ही सर्वेक्षण के कार्य करेगा और सर्वेक्षण रिपोर्टें जारी करेगा।

iii) लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक जो कंपनी/फर्म के कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं, केवल उसी कंपनी/फर्म के सर्वेक्षण कार्य करेंगे जिसमें वे नियोजित हैं। कर्मचारी सर्वेक्षण कार्य केवल उसके वैयक्तिक लाइसेंस के अंतर्गत उसे आबंटित विभाग और सदस्यता के स्तर में ही करेगा/करेगी।

iv) कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने पर कंपनी/फर्म सर्वेक्षण कार्य केवल प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कारपोरेट लाइसेंस में प्रत्येक निदेशक/साझेदार के समक्ष दर्शाएँ गये विभाग और सदस्यता के स्तर में ही कर सकती है।

v) एक कारपोरेट सर्वेक्षक का कोई भी निदेशक अथवा साझेदार किसी अन्य कारपोरेट सर्वेक्षक में निदेशक अथवा साझेदार के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

vi) कंपनी/फर्म का मुख्य उद्देश्य बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण करना होगा तथा कंपनी अथवा फर्म के नाम में "बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" शब्द शामिल होंगे।

vii) विदेशी कंपनी द्वारा भारत डीक्यूटी शेयर्स की कुल धारिताएँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रकट की जाएँगी जो किसी भी समय आवेदक की चुकता डीक्यूटी पूँजी के 26 प्रतिशत अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले ऐसे अन्य प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के परिकलन की पद्धति भारतीय बीमा कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट पद्धति के समान होगी।

viii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक के उसी प्रवर्तक/अभिदाता के पास एक से अधिक कारपोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस नहीं हों। "प्रवर्तक/अभिदाता" "कंपनी अधिनियम, 1956" में यथापरिभाषित रूप में होगा।

- (ix) शुल्क का भुगतान विनियम 5 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी भी निदेशक/साझेदार को सदस्यता के उच्चतम स्तर के आधार पर ऑनलाइन नेट बैंकिंग /आरटीजीएस/एनईएफटी/मॉग ड्राफ्ट (डीडी)(बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम हैदराबाद में देय) के माध्यम से किया जाएगा तथा भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा।
- (x) संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज (ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकते हैं और बाद में हार्ड प्रति भेजी जा सकती है) :
- क) फार्म-आईआरडीए-3एएफ में सभी प्रकार से विधिवत् भरा गया आवेदन।
- ख) सदस्यता संख्या, जारी करने की तारीख आदि निर्दिष्ट करते हुए निदेशको/साझेदारों को संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति
- ग) निदेशको/साझेदारों के हाल में लिये गये फोटो की प्रति
- घ) निदेशको/साझेदारों के सर्वेक्षक लाइसेंस की प्रति
- ङ) कंपनी के मामले में कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) द्वारा जारी किये गये निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति
- च) फर्म के मामले में सभी साझेदारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित भागीदारी विलेख की प्रति
- छ) कंपनी से संबंधित संस्था के बहिनियमों और अंतर्नियमों की प्रति
- ज) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म सं. 32 की प्रति
- झ) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म सं. 18 की प्रति
- ञ) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म 4 की प्रति
- ट) टीएन की प्रति
- ड) निदेशको/साझेदारों को योग्यता का साक्ष्य
- ड) फार्म-आईआरडीए-3एएफ की क्रम सं. 2 के अंतर्गत उल्लिखित शपथपत्र (ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करते समय सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)
- ड) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" के आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा
- ण) मॉग ड्राफ्ट, यदि शुल्क का भुगतान डीडी से किया गया हो
- त) आरटीजीएस/एनईएफटी से शुल्क के भुगतान का ब्योरा, यदि भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी से किया गया हो
- थ) कोई अन्य दस्तावेज/सूचना जिसकी अपेक्षा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर की जाएगी (क्रम संख्या घ से ड तक निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरी द्वारा प्रमाणित होंगी)
- (xi) प्रकटीकरण :
- क) एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि कारपोरेट फर्म में सम्मिलित होने से पहले वैयक्तिक सर्वेक्षक उन्हें संपि गये सभी कार्य पीपीआई विनियमों के विनियम 9 के अंतर्गत व्यवस्थित समय-सीमाओं के अंदर समाप्त करेंगे तथा यह कि कारपोरेट लाइसेंस प्रदान करने पर ऐसे सर्वेक्षक अब से केवल कारपोरेट लाइसेंस के अंतर्गत ही कार्य करेंगे।
- ख) ऐसी अन्य अतिरिक्त अपेक्षाएँ जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
- ग) एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि वे निदेशक/साझेदार के त्वगपत्र/मृत्यु/निलंबन, शोथकारिता के स्वरूप में परिवर्तन और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में सूचना प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे तथा आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऐसे परिवर्तन के घटित होने के 15 दिन के अंदर इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-18एएफ में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया लाइसेंस (मूल रूप में) आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्षित किया जाएगा।
- घ) उन सदस्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जो सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस धारित करते हैं तथा कंपनी/फर्म की ओर से सर्वेक्षण कार्य संचालित करने के लिए फर्म/कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और शाखा कार्यालय/कार्यालयों में नियोजित हैं।
- (xii) विनियम 4(1) में उल्लिखित आवेदक इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-3-एएफ में आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्र है, कारपोरेट सर्वेक्षक के विभाग और सदस्यता के स्तर को निर्दिष्ट करते हुए इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-4-एएफ में लाइसेंस प्रदान करेगा। इस प्रकार का सदस्यता-स्तर वह उच्चतम स्तर होगा जिस पर कारपोरेट सर्वेक्षक कार्य कर सकेगा।

(iii) विनियम 5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

सदस्यता स्तर चार सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए नये आवेदकों द्वारा प्राधिकरण को देय शुल्क निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट किये अनुसार होगा :

क्रम सं.	संस्थान में सर्वेक्षक और हानि निवारक का सदस्यता स्तर	एकमात्र स्वामी सहित व्यक्तियों द्वारा देय राशि (रुपये)	कारपोरेट सर्वेक्षक और हानि निवारक द्वारा देय राशि (रुपये)
1	फैलोशिप	10000/-	25000/-
2	सह (एसोसिएट)	7500/-	20000/-
3	लाइसेंसधारी	5000/-	15000/-

- उपर्युक्त विनियम 4(1) में उल्लिखित कॉरपोरेट सर्वेक्षक के मामले में देय शुल्क उसके किसी भी निदेशक/साझेदार की सदस्यता के उच्चतम स्तर के लिए लागू शुल्क होगा।
- कॉरपोरेट सर्वेक्षक के सदस्यता स्तर में जब भी अंतर (निम्नतर से उच्चतर) होगा, तब शुल्क में अंतर कॉरपोरेट सर्वेक्षक द्वारा प्राधिकरण को देय होगा।
- लाइसेंस प्रदान करना समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सर्वेक्षक विनियम, 2000 के विनियम 3 और विनियम 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी करने के अधीन है।
- सर्वेक्षक लाइसेंसिंग पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान-नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क की अदायगी भुगतान की एक पद्धति मानी जाती है।

(iv) विनियम 7 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

(1) नवीकरण के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रस्तुति सहित, सर्वेक्षक के लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी वैधता की अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास निम्नानुसार पहुँच जाना चाहिए,

क) फार्म-आईआरडीए-5-एएफ में (व्यक्तियों के लिए)

ख) फार्म-आईआरडीए-6-एएफ में (कॉरपोरेट सर्वेक्षकों के लिए) जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची में दिया गया है और उसके साथ दो सौ रुपये का नवीकरण शुल्क अदाकिया जाना चाहिए।

इससे कि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि अन्यथा इसके कारण अनुचित कष्ट होनेवाला है, कोई भी आवेदन आवेदक द्वारा सात सौ पचास रुपये के दंड का भुगतान करने पर उसकी समाप्ति से छह महीने के अंदर स्वीकार कर सकता है।

परंतु आगे यह भी शर्त है कि इस प्रकार नवीकृत नहीं किया जानेवाले लाइसेंस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तथापि, ऐसे सर्वेक्षक से प्राप्त आवेदन को विनियम 3 के अंतर्गत नये आवेदन के रूप में माना जा सकता है और उसपर कार्रवाई की जा सकती है तथा ऐसे आवेदक को प्राधिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले लाइसेंस में सदस्यता का लाइसेंसधारी स्तर आबंटित किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई, विशेष रूप से विनियमों के अध्याय 11 में विनिर्दिष्ट की गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया है, लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है

प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेज (ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल में सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)

I. व्यक्ति के मामले में :

क) फार्म-आईआरडीए-5एएफ में सभी प्रकार से विशिष्ट भरा गया आवेदन।

ख) हाल में लिये गये फोटो की प्रति - 1

ग) पीएन (पैन) की प्रति

घ) निवास के प्रमाण की प्रति

ङ) योग्यता का प्रमाण

च) नियोजक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि नियोजित हो

छ) फार्म-आईआरडीए-12 में कार्य निष्पादन (पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)

ज) फार्म-आईआरडीए-1 एएफ को क्रम संख्या 3 के अंतर्गत उल्लिखित रूप में शपथपत्र (ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करते समय सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)

- झ) संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति
 ज) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा
 ट) मॉग ड्राफ्ट, यदि शुल्क का भुगतान डीडी से किया गया हो
 ठ) आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा शुल्क के भुगतान का विवरण, यदि भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया गया हो
 ड) कोई अन्य दस्तावेज/सूचना जिसकी अपेक्षा प्राधिकरण समय-समय पर कर सकता है
 (क्रम संख्या ग से झ तक निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरी द्वारा प्रमाणित होंगी)

II. कॉरपोरेट सर्वेक्षकों के मामले में :

- क) फार्म-आईआरडीए-6एएफ में सभी प्रकार से विधिवत् भरा गया आवेदन
 ख) निदेशको/साझेदारों के हाल में लिये गये फोटो की प्रति
 ग) निदेशको/साझेदारों के सर्वेक्षक लाइसेंस की प्रति तथा उनकी संस्थान की सदस्यता का विवरण
 घ) कंपनी के मामले में कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) द्वारा जारी किये गये निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति
 ङ) फर्म के मामले में सभी साझेदारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित भागीदारी विलेख की प्रति
 च) कंपनी से संबंधित संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति
 छ) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म सं. 32 की प्रति
 ज) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म सं. 18 की प्रति
 झ) कंपनियों के पंजीयक (आरओसी) के पास दाखिल किये गये फार्म 4 की प्रति
 ञ) टीएएन (टैन) की प्रति
 ट) निदेशको/साझेदारों की योग्यता का प्रमाण
 ठ) फार्म-आईआरडीए-3 एएफ में उल्लिखित रूप में शपथपत्र (ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करते समय सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)
 ड) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" आकार का स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा
 ङ) कंपनी/फर्म का कार्य निष्पादन (पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए सॉफ्ट रूप में अपलोड करना होगा)
 ञ) मॉग ड्राफ्ट, यदि शुल्क का भुगतान डीडी से किया गया हो
 त) आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा शुल्क के भुगतान का विवरण, यदि भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया गया हो
 थ) कोई अन्य दस्तावेज/सूचना जिसकी अपेक्षा प्राधिकरण समय-समय पर कर सकता है
 (क्रम संख्या ग से ठ तक निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियाँ नोटरी द्वारा प्रमाणित होंगी)
- (3) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस के नवीकरण के लिए पात्र है, उसका नवीकरण निम्नानुसार करेगा
- क) एकमात्र स्वामी सहित व्यक्तियों के मामले में फार्म-आईआरडीए-7-एलएफ में
 ख) कॉरपोरेट सर्वेक्षक के मामले में फार्म-आईआरडीए-8-एलएफ में इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये फार्मेट में। इस प्रकार नवीकृत लाइसेंस यदि समय से पहले निरस्त नहीं किया गया हो तो नवीकरण की तारीख से पाँच वर्ष के लिए वैध होगा।
- (4) लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई ऐसे आवेदन की प्राप्ति के समय विनियम 3ए के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों सहित वर्तमान पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
- (v) विनियम 8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :
- कियाविधि जहाँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है :
- (1) लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है :
- क) यदि वह अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है अथवा आवेदक अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का पालन नहीं करता है।
 ख) यदि प्राधिकरण की राय में लाइसेंस प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हित में नहीं है।
 बशर्ते कि ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को अपनी बात कहने के लिए यथोचित अवसर दिया जाएगा।
- (2) जहाँ लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है, वहाँ प्राप्त शुल्क के 60 प्रतिशत से अधिक राशि आवेदक को लौटाई जाएगी।

- (3) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत उल्लिखित रूप में आवेदन की अस्वीकृति की सूचना आवेदक को उसकी अस्वीकृति के लिए कारण बताते हुए ऐसी अस्वीकृति के तीस दिन के अंदर दी जाएगी।

कियाविधि जहाँ लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है :

- (1) प्राधिकरण किसी सर्वेक्षक और हानि निवारक को प्रदत्त लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राथम आवेदन को निम्नलिखित किसी भी कारण से अस्वीकृत कर सकता है, यदि आवेदक :
- ऐसा व्यवहार करता है जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता के संबंध में महत्वपूर्ण विवरण के अंतर्गत असत्य है
 - अधिनियम की धारा 64एएम की उप-धारा (1) के खंड डी के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (4) के अंतर्गत व्यवस्थित किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त है।
- बशर्ते कि प्राधिकरण ऐसी अस्वीकृति से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए यथोचित अवसर देगा।
- (2) उप-विनियम (4) में उल्लिखित लाइसेंस की अस्वीकृति ऐसी अस्वीकृति की तारीख से प्रभावहीन होगी तथा कोई भी सर्वेक्षक और हानि निवारक उसके बाद अपने द्वारा किये जा रहे कार्यों सहित कोई भी सर्वेक्षण और हानि निवारण कार्य नहीं करेगा। ऐसे सभी संबंधित कार्य उसके द्वारा, जैसी स्थिति हो, बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति को लौटाये जाएँगे।
- (3) ऐसा सर्वेक्षक जिसका लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन किसी भी कारण से अस्वीकृत किया गया है, ऐसी अस्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा इस प्रकार का आवेदन नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार आवेदक, जैसी स्थिति हो, विनियम 3 अथवा विनियम 4 के अंतर्गत उल्लिखित सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा।
- (vi) विनियम 9 का स्थान बदलकर उसे विनियम 20ए, 20बी और 20सी के रूप में निविष्ट किया जाता है।

4. सर्वेक्षक और हानि निवारक समिति का गठन और उसके कार्य

- (i) विनियम 11(2)(iii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :
- सरकारी क्षेत्र से बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि और निजी क्षेत्र से बीमाकर्ता का एक प्रतिनिधि
- (ii) नया विनियम 12ए निम्नानुसार निविष्ट किया जाता है :

सर्वेक्षकों और हानि निवारकों की नियुक्ति

- कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कंपनी, जैसी स्थिति हो, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सर्वेक्षक विनियमों के विनियम 3 अथवा विनियम 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य नहीं करेगा/करेगी।
- सर्वेक्षक और हानि निवारक बीस हजार रुपये से अधिक साधारण बीमा कारोबार के संबंध में बीमा की पॉलिसी के अंतर्गत हानि का निवारण करने के लिए बीमाकर्ताओं अथवा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा नियुक्त किये जाएँगे।
- हानि के निवारण के लिए सर्वेक्षक को ऐसी नियुक्त बीमाकृत व्यक्ति को हानि घटित होने की जानकारी मिलने के समय से 72 घंटों के अंदर की जाएगी। ऐसी नियुक्ति की सूचना, जैसी स्थिति हो, बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति को लिखित में भेजी जाएगी तथा यह दावा निपटान प्रक्रिया का भाग बनेगी।
- सर्वेक्षक और हानि निवारक केवल अपने लाइसेंस में विनिर्दिष्ट विभागों की हानियों का ही निवारण करेगा।
- बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा किये गये हानि निवारण में किसी विवाद/असंतोष के होने की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति अपना असंतोष अधिलिखित कर सकता है तथा तत्पश्चात् साधारण बीमा की पॉलिसी के अंतर्गत सूचित हानि का निवारण करने के लिए उपर्युक्त सर्वेक्षक को नियुक्त कर सकता है, जिस स्थिति में शुल्क का भुगतान बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
- निर्धारित हानि की प्रमात्रा में बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच विवाद, यदि कोई हो, पथ्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

5. सर्वेक्षक और हानि निवारक के कर्तव्य और दायित्व

- (1) विनियम 13 के उप-विनियम 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

"सर्वेक्षक और हानि निवारक चाहे बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त हो अथवा बीमाकृत व्यक्ति द्वारा, अपनी रिपोर्ट बीमाकर्ता को यथाशीघ्र, परंतु अपनी नियुक्ति से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा तथा उसके साथ बीमाकृत व्यक्ति को दी गई अपनी रिपोर्ट की एक प्रति उस पर हानि के निवारण के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति की सहमति अथवा अन्य प्रकार की राय पर अपनी टिप्पणों देते हुए प्रस्तुत करेगा। जहाँ मामले की विशेष परिस्थितियों में उसके विशेष और जटिल स्वरूप के कारण

आवश्यक हो, वहाँ सर्वेक्षक बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करते हुए अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए बीमाकर्ता से किसी भी स्थिति में छह महीने से अधिक लंबा तक समय में वृद्धि की अपेक्षा करेगा।

यदि कोई बीमाकर्ता सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद पाता है कि वह किसी भी प्रकार से अधूरी है, तो वह बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करते हुए सर्वेक्षक से अपेक्षा करेगा कि बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षित किये जानेवाले ऐसे अधूरे मुद्दों पर एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस प्रकार का अनुरोध बीमाकर्ता द्वारा मूल सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर किया जा सकता है।

यद्यपि कि बीमाकर्ता द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट माँगने की मुकिया का सहारा एक दाये के मापले में एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा।

सर्वेक्षक इस सूचना की प्राप्ति पर बीमाकर्ता से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”

6. सर्वेक्षकों का वर्गीकरण

(1) विनियम 14 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

सर्वेक्षक और हानि निवारक का वर्गीकरण विनियम 14 के अंतर्गत उल्लिखित रूप में संस्थान द्वारा आर्बिट्रिट सदस्यता के स्तर के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निवारक को संस्थान द्वारा सदस्यता आर्बिट्रिट की जाएगी। संस्थान में सदस्यता के तीन स्तर अर्थात् लाइसेंसधारी, सहयोगी और फेलो संस्थान के अंतर्निचयों में चयापरिभाषित रूप में होंगे।

क. प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निवारक, चाहे कंपनी हो अथवा फर्म अथवा व्यक्ति, संस्थान द्वारा आर्बिट्रिट और लाइसेंस में विनिर्दिष्ट सदस्यता के स्तर के अनुसार सर्वेक्षक अथवा हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होगा।

(II) विनियम 14 के बाद एक नया विनियम 14ए विविष्ट किया जाता है और वह निम्नानुसार है :

संस्थानके कार्य

(1) संस्थान समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले किन्हीं अन्य मानदंडों सहित, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया जानेवाला वैध लाइसेंस प्रदान करने के लिए सदस्यता हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर पात्र व्यक्ति को उपयुक्त सदस्यता प्रदान करेगा।

(1) सदस्यता

लाइसेंसधारी सदस्य : ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वैध लाइसेंस धारित करता है तथा विनियम 14ए(1)(II) में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करता है

सह-सदस्य : ऐसा कोई भी लाइसेंसधारी सदस्य जो 8 वर्ष से अल्प अवधि के लिए लगातार वैध लाइसेंस धारित करता है तथा विनियम 14ए(1)(II) में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करता है

फेलो सदस्य : ऐसा कोई भी सह-सदस्य जो 8 वर्ष से अल्प अवधि के लिए वैध लाइसेंस धारित करता है तथा विनियम 14ए(1)(II) में विनिर्दिष्ट अन्य मानदंडों को पूरा करता है

(II) प्रशिक्षण, परीक्षा, सेमिनार और कार्यशालाएँ :

क. संस्थान सभी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, परीक्षा, सेमिनार और कार्यशालाएँ संचालित करेगा तथा प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता के स्तर का ग्रेड बढ़ाने के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रूप में ऐसे प्रशिक्षण, परीक्षाओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं में सहभागिता करेगा/करेगी।

ख. सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस की अपेक्षा करनेवाले आवेदन के संबंध में विनियम 16 में निर्धारित रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षण की अवधि में की जानेवाली वृद्धियों में संस्थान व्यवस्था करेगा तथा प्रत्येक सदस्य नीचे विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम अवधि के लिए अपनी सदस्यता के स्तर के अनुरूप ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा/करेगी :

लाइसेंसधारी - 100 घंटे

सह-सदस्य - 50 घंटे

फेलो - 25 घंटे

ग. संस्थान अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य संस्था सेमिनारों और कार्यशालाओं का संचालन करेगी तथा प्रत्येक सदस्य नीचे विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम संख्या में ऐसे सेमिनारों और कार्यशालाओं में सहभागिता करेगा/करेगी :

लाइसेंसधारी - 5

सह-सदस्य - 8

फेलो - 10

परंतु आगे यह भी शर्त है कि सभी वर्तमान लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक इन विनियमों की तारीख से 6 महीने के अंदर संस्थान के सदस्य बनेंगे तथा संस्थान द्वारा आर्बिट्रि की जानेवाली सदस्यता के स्तर को निर्दिष्ट करते हुए आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

परंतु आगे यह भी शर्त है कि ऐसे सदस्यों से यह अपेक्षित होगा कि वे समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली समय-सीमा के अंदर सदस्यता के अपने वर्तमान स्तरों का ग्रेड बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सेमिनारों और कार्यशालाओं संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें।

(2) संस्थान के कार्यों के कुशल संचालन के लिए प्राधिकरण समय-समय पर इस प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत, निर्देश अथवा ऐसी अन्य सूचना जारी कर सकता है।

7. आचरण-संहिता

(1) विनियम 15 के उप विनियम 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

सर्वेक्षण कार्य का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें संबंधित सूचना, जैसे बीमाकृत व्यक्ति, बीमाकर्ता, पॉलिसी संख्या, सर्वेक्षण कार्य के आर्बिट्र की तारीख, सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख, दावों की निर्धारित राशि का विवरण, ऐसे शुल्क का ब्योरा निहित होगा तथा सर्वेक्षण रिपोर्टों के महत्वपूर्ण अभिलेख, फोटोग्राफ और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज तीन वर्ष की अवधि के लिए रखेगा तथा प्राधिकरण अथवा किसी जाँचकर्ता प्राधिकरण अथवा बीमाकर्ता द्वारा जब भी माँगा जाएगा तब ये और ऐसी अन्य विनिर्दिष्ट विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा। तथापि, उपर्युक्त सूचना/ अभिलेखों/ दस्तावेजों/ फोटोग्राफों आदि से संबद्ध मुकदमों की स्थिति में इन्हें मुकदमों के समापन तक रखा जाएगा।

(1) विनियम 15 के अंतर्गत नवे उप विनियम सं. 15, 16, 17 और 18 निम्नानुसार निविष्ट किये जाते हैं :

प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक -

- अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, उसके अंतर्गत बनावे गये विधियों और विनियमों के सभी उपबंधों तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आदेशों, निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करेगा।
- कंपनी/फर्म में केवल कर्मचारी/निदेशक/साझेदार के रूप में ही सर्वेक्षण कार्य करेगा।
- न तो बीमाकृत व्यक्ति के परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा और न ही हानि, विशेष रूप से उन हानियों के निपटान में संबद्ध रहेगा जिनका निर्धारण नियुक्त सर्वेक्षक के रूप में उसके द्वारा किया जा रहा हो।

- संस्थाके अंतर्नियमों (एओए) के उपबंधों, विनियमों और समय-समय पर संस्थान द्वारा बनाई गई नीति-संहिता का पालन करेगा ।

8. अध्याय VII - व्यावहारिक प्रशिक्षण का नाम "प्रशिक्षणार्थी आवेदक" के रूप में पुनः निर्धारित किया जाता है

(1) विनियम 16 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

प्रशिक्षणार्थी आवेदक

16 (1) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस की अपेक्षा करनेवाला छात्र सदस्य इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये रूप में फार्म-आईआरडीए-14 में अपने प्रशिक्षक से प्रशिक्षण देने के लिए सहमति प्राप्त करने के बाद, इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये अनुसार फार्म-आईआरडीए-13 में प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत करेगा और नामांकन करवाएगा तथा नीचे विनिर्दिष्ट किये अनुसार एक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के पास बारह महीने से अन्वून अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा ।

(1ए) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक आवेदक जो संस्थान का छात्र सदस्य है और प्रशिक्षणार्थी के रूप में नामांकित है, संस्थान द्वारा निर्धारित तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विधिवत् अनुमोदित आवरण-संहिता और नीति-संहिता का पालन करेगा जिनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

- नैतिकतापूर्वक और सत्यनिष्ठता के साथ व्यवहार करेगा । सत्यनिष्ठता में केवल ईमानदारी ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यवहार और सत्यशीलता अंतर्निहित हैं ।
- सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वेध लाइसेंस धारण किये बिना कोई भी सर्वेक्षण कार्य स्वीकार/निष्पादित/प्रारंभ नहीं करेगा तथा कोई भी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी नहीं करेगा ।
- हर समय प्रशिक्षक सर्वेक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रशिक्षण के विवरण का उचित अभिलेख रखेगा, तथा
- किसी भी एजेंसी द्वारा उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई किसी भी कार्यवाही अथवा लंबित अथवा कार्यान्वित की गई जाँच-पड़ताल से संबंधित समस्त सूचना तथा उसके परिणाम का विवरण प्रकट करेगा।
- प्राधिकरण को प्रस्तुत की जा चुकी सूचना में कोई भी परिवर्तन 15 दिन के अंदर दाखिल करना
- समय-समय पर संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य अपेक्षा ।

(2) सर्वेक्षक जिसके अधीन प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किया जाएगा, संस्थान का सह-सदस्य अथवा फेलो सदस्य होगा

(3) प्रशिक्षणार्थी उक्त अवधि के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का तिमाही अभिलेख फार्म-आईआरडीए-15 में रखेगा तथा उसे उस सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से प्रमाणित करवाएगा जिसके अधीन उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और फार्म-आईआरडीए-16 में प्रमाणपत्र विनियम 3 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा;

(3)क. विनियम 16(1) के अंतर्गत यथाकथित 12 महीने से अन्वून अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा उन छात्र सदस्यों पर लागू नहीं होगी जिनके पास जोरिखन प्रबंध से संबंधित क्षेत्रों में औरसाधारण बीमा उद्योग में संबंधित क्षेत्र में दायों के निपटान में 15 वर्ष से अधिक अनुभव हो ।

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदक को प्रदान किया जानेवाला लाइसेंस उस विशिष्ट क्षेत्र में होगा जिसके लिए उसको प्रशिक्षित किया गया है ;

(4) यदि प्राधिकरण द्वारा पहले से लाइसेंस प्रदान किया गया कोई सर्वेक्षक और हानि निर्धारक उस श्रेणी को छोड़कर जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है, किसी अन्य श्रेणी में सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, तो वह उस विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया फेलो अथवा सह-सदस्य का लाइसेंस धारण करनेवाले सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के अधीन छह महीने से अन्वून अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(5) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास प्रशिक्षणार्थियों के रूप में जो पहले से नामांकित हैं, वे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियम 3 में निर्धारित मानदंडों का पालन करने के अतिरिक्त, संस्थान के छात्र सदस्य बनेंगे ।

(ii) विनियम 17 में "उक्त परीक्षा या तो..." शब्दों के बाद "प्राधिकरण" शब्द को "संस्थान" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

उक्त विनियम निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

प्राधिकरण विनियम 3 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऊपर निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करने पर आवेदक द्वारा एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त भी निर्धारित कर सकता है। उक्त परीक्षा या तो संस्थान द्वारा या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा आयोजित की जा सकती है..

9. विविध

लाइसेंसप्राप्त बीमा सर्वेक्षकों और हानि निवारकों का रजिस्टर

- (i) विनियम 18 के उप विनियम 1 में "प्राधिकरण" शब्द को "संस्थान" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (ii) विनियम 18 के उप विनियम 1 (च) में "वर्गीकरण" शब्द को "संस्थान में सदस्यता का स्तर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 (iii) विनियम 18 के उप विनियम 3 में "करवायेगा" शब्द को "करवा सकता है" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

यह विनियम निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

प्राधिकरण रजिस्टर से हट कर किये गये संबंधित विवरण को उसके द्वारा उपयुक्त समझे गये रूप में, ऐसे अंतरालों पर और ऐसे तरीके से जैसा कि उचित समझा जाएगा, प्रकाशित करवा सकता है।

सर्वेक्षक और हानि निवारक द्वारा विवरणों का प्रस्तुतीकरण

(ii) विनियम 19 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निवारक :-

(क) प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा तब ऐसा दस्तावेज, विवरण, खाना, विवरणी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा समय-समय पर इसके निमित्त प्राधिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले ऐसे निर्देशों का पालन करेगा; तथा

(ख) इन विनियमों की अनुसूची में दिये गये फॉर्म-आइआरडीए-12 में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ग) प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को निम्नलिखित की प्रस्तुति करेगा :

- i) रोजगार नियमों के अंतर्गत कार्यकारी सर्वेक्षकों पर कार्रवाई, यदि कोई की गई हो, सहित लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों के कदाचार से संबंधित तिमाही रिपोर्ट
- ii) प्राधिकरण के पास वार्षिक रूप से सर्वेक्षकों की नियुक्ति, सर्वेक्षकों के उपयोग और लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों की सर्वेक्षण कार्यों के आबंटनके लिए अपनाई गई कार्यपद्धति के संबंध में कंपनी द्वारा बनायी गई नीति की एक प्रति दाखिल करेगा।
- iii) (घ) के अंतर्गत बताये गये रूप में प्रस्तुत की गई नीति में यदि कोई परिवर्तन किये गये हों तो उसके लिए कारणों सहित ऐसे परिवर्तन 15 दिनों के अंदर दाखिल करेगा।

निरीक्षण

(iii) विनियम 20 के उप विनियम 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

सर्वेक्षक और हानि निवारक निरीक्षण/जाँच-पड़ताल करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मॉगी गई सूचना उपलब्ध कराएगा तथा उसके कार्य के संचालन को सुसाध्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

(iv) सूच की स्थिति में कार्रवाई - लाइसेंस का निलंबन

लाइसेंस के निलंबन से संबंधित विनियम 9 का स्थान बदलकर उसे निम्नानुसार 20ए के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है :

(1) प्राधिकरण सर्वेक्षक और हानि निवारक (वैयक्तिक/कारपोरेट) को पहले से प्रदान किया गया लाइसेंस निलंबित करेगा, यदि वह :

- i. अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह संतोषजनक और व्यावसायिक ढंग से नहीं करता; अथवा
- ii. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन करता है अथवा
- iii. लाइसेंस प्राप्त करने अथवा उसका नवीकरण करवाने के लिए यात्रता के संबंध में अथवा उसके या उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्यकलाप में अथवा सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में उसके साथ संबद्ध मामलों में महत्वपूर्ण विवरण में झूठा बक्तव्य देता है अथवा उसने ऐसा लाइसेंस जारी करने अथवा नवीकृत करने के बाद अधिनियम की धारा 42(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (4) के अंतर्गत व्यवस्थित कोई भी अयोग्यता प्राप्त की है।

- iv. उसने अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उन अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम के किसी भी उपबंध अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी भी आदेश अथवा निर्देश का उल्लंघन किया है
- v. अपने दायित्वों के निर्वाह में लापरवाह रहा है
- vi. उसे किसी भी न्यायालय द्वारा कारावास का दंड दिया गया है

बशर्ते कि प्राधिकरण ऐसे निलंबन से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर देगा।

- 2) प्राधिकरण उस स्थिति में भी लाइसेंस निलंबित कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा लाइसेंस जारी रखना पॉलिसीधारकों के हितों के विपरीत होगा तथा उस स्थिति में वैयक्तिक सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता
- 3) प्राधिकरण कारपोरेट सर्वेक्षक के निदेशक/साझेदार के वैयक्तिक लाइसेंस को निरस्त करने के अतिरिक्त, उपर्युक्त 1 और 2 के अंतर्गत वर्णित रूप में किये गये किसी भी कार्य के लिए कारपोरेट सर्वेक्षक का लाइसेंस भी निलंबित कर सकता है यदि वह उसके किसी भी एक साझेदार/निदेशक द्वारा किया गया हो।
- 4) लाइसेंस का निलंबन ऐसी अवधि के लिए होगा जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है तथा यह आदेश के दिनांक से तब तक प्रभावी होगा जब तक उसे रद्द नहीं किया जाता।
- 5) निलंबन की अवधि के दौरान ऐसे लाइसेंस का धारक अपने द्वारा किये जा रहे कार्यों सहित कोई भी सर्वेक्षण और हानि निवारण नहीं करेगा तथा ऐसे सभी लंबित कार्य, जैसी स्थिति हो, बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति को लौटा देगा।
- 6) सर्वेक्षक जिसका लाइसेंस किसी भी कारण से निलंबित किया गया है, ऐसे निरसन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा इस प्रकार का आवेदन नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार आवेदक जैसी स्थिति हो, विनियम 3 अथवा विनियम 4 के अंतर्गत बताई गई सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा।

लाइसेंस का निरसन

(v) एक नया विनियम 20बी विमानुसार निविष्ट किया जाता है :

1. जहाँ यह पाया जाता है कि सर्वेक्षक और हानि निवारक अधिनियम की धारा 42(4) के साथ पठित धारा 42डी में उल्लिखित किसी भी अव्यंग्यता से प्रस्त है अथवा अधिनियम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उन अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के किसी भी उपबंध अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी आदेश, निदेश अथवा अनुदेश का उसने जानबूझकर उल्लंघन किया है, तो प्राधिकरण ऐसी तारीख से उसका लाइसेंस निरस्त कर सकता है जो प्राधिकरण के द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

बशर्ते कि प्राधिकरण निरसन से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात कहने का उचित अवसर प्रदान करेगा।

परंतु आगे यह भी शर्त है कि इस उप-विनियम में प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियाँ अधिनियम की धारा 64एएम की उप-धारा (7) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने किना हैं।

2. प्राधिकरण उस स्थिति में भी लाइसेंस निरस्त कर सकता है यदि उसकी राय में ऐसे लाइसेंस को जारी रखना पॉलिसीधारकों के हितों के विपरीत होगा।
3. सर्वेक्षक जिसका लाइसेंस किसी भी कारण से निरस्त किया गया है, ऐसे निरसन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसा आवेदन नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन के रूप में माना जाएगा और तदनुसार आवेदक जैसी स्थिति हो, विनियम 3 अथवा विनियम 4 के अंतर्गत बताई गई सभी अपेक्षाएँ पूरी करेगा।

लाइसेंस के निलंबन और निरसन के लिए क्रियाविधि

(vi) एक नया विनियम 20सी के रूप में निम्नानुसार निविष्ट किया जाता है :

1. लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निवारक, जिसका लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किये जाने का प्रस्ताव है, को लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने से पहले सुनवाई का एक अवसर दिया जा सकता है।

बशर्ते कि प्राधिकरण इस क्रियाविधि का अनुसरण नहीं कर सकता यदि लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निवारक के नियोजन को जारी रखना पॉलिसीधारकों के हितों के विपरीत माना जाता है।

2. निलंबन का आदेश प्राप्त करने पर लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निवारक निलंबन को रद्द करने के लिए प्राधिकरण के सख्त अभ्यावेदन दाखिल कर सकता है। प्राधिकरण एक अधिकारी को नामित कर सकता है जो अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद ऐसा आदेश अथवा ऐसे आदेश पारित करेगा/करेगी जो वह उचित समझेगा/समझेगी जिसकी सूचना निलंबित सर्वेक्षक और हानि निवारक को दी जाएगी।

1227 61/13-4

3. यदि नामित व्यक्ति के आदेश के आधार पर प्राधिकरण निलंबन के आदेश को ख करता है तथा सर्वेक्षक और हानि निवारक के लाइसेंस को पुनः प्रचलित करता है, तो प्राधिकरण यह तारीख निर्दिष्ट करेगा जब से पुनः प्रचलन लागू होगा।
4. प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया जा सकता है जहाँ सर्वेक्षक और हानि निवारक निलंबन के आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करता।
5. निलंबन का कोई आदेश अथवा उसके आदेश का प्रतिसंहरण बीमाकर्ता को सूचित किया जाएगा।
6. प्राधिकरण सरकारी राजपत्र में केवल निरसन ही अधिसूचित करेगा।

अनुसूची

फार्म - आईआरडीए - 1 - एएफ

[विनियम 3(1) देखें]

सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन (वैयक्तिक)

जीए-सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

- 1) संस्थान द्वारा जारी किये गये छात्र सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना।
- 2) आवेदन की प्रस्तुति के दौरान "नेट बैंकिंग/डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस" के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
- 3) नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यकृत डिप्टी/डिप्लोमा की स्कैन की हुई प्रतियाँ तैयार रखना।
- 4) आवेदन फार्म की क्रम सं. 2 के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र (एफिडेविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 5) प्रश्न सं. 4, 8, 9, 10 और 11 के प्रत्युत्तर में साक्ष्यकृत और स्कैन किये हुए दस्तावेज संलग्न करना। इन प्रश्नों के लिए उत्तर देना अनिवार्य है।
- 6) आवेदन फार्म के साथ हाल में लिये गये पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।
- 7) आवेदन की वारसविक (फिजिकल) प्रतियाँ, अपलोड किये गये दस्तावेज और 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त अपना पता लिखा हुआ 4.5" x 10" आकार का लिफाफा आईआरडीए को भेजना। लाइसेंस प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य हैं।

टिप्पणियाँ : विनियम 3 के साथ पढ़ें

1. आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था है कि जो कोई भी उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भी दस्तावेज में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह ऐसी प्रत्येक चूक के लिए 5 लाख रुपये से अनधिक दंड के लिए उत्तरदायी तथा जुमाने से दंडनीय होगा।
2. एक व्यक्ति केवल एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जो उसे किसी बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त बनाएगा।
3. आवेदन में प्रश्नों के लिए उत्तर में किये गये किसी भी सुधार अथवा परिवर्तन के लिए आवेदक द्वारा आद्यक्षर (इनोशियल्स) किये जाने चाहिए।
4. आवेदक को अनिवार्यतः आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को कम से कम 18 (अठारह) वर्ष की आयु का होना चाहिए। आवेदक द्वारा 18 वर्ष के होने की घोषणा करने की स्थिति में जन्म के वर्ष में आनेवाली वारसविक जन्मतिथि आवेदन की भद 4 के समझ दो जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आवेदक आयु के लिए सबूत प्रस्तुत करेगा।
5. आवेदन फार्म सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आवेदक को एक सूचना भेजी जाएगी।
6. प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन अनिवार्यतः प्राधिकरण को ऐसे परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए।
7. सूचित लाइसेंस द्विभाषिक रूप में अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किया जाता है, अतः आवेदक यह निर्दिष्ट करे कि वह अपना नाम हिन्दी में कैसे लिखता है। अतः यह सूचित किया जाता है कि नाम और पता दोनों लिखे जाएँ।

1. मैं, संस्थान का छात्र सदस्य, अनुरोध करता हूँ कि सर्वेक्षक और ज्ञानि विचारक के रूप में कार्य करने के लिए मुझे निम्नलिखित वर्ग/विभाग के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए।

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	पिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
टिक लगाई								

छात्र सदस्यता का विवरण ... (संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र और पहचान-पत्र को सॉफ्ट प्रति अपलोड करनी होगी)

2. मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि
- मैं सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विक्षिप्त नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
 - मैं सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक किफायत अथवा मोठेबाजी अथवा जालसाजी अथवा कोई भी अपराध करने के लिए अवैधित करने अथवा प्रयास करने का दोषी नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
 - मैं किसी भी थोखासड़ी/बेईमानी से जानबूझकर साझेदारी करने अथवा गुप्त रूप से सहयोग देने अथवा बीमा की किसी भी पॉलिसी अथवा बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलतबयानी करने का दोषी नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
 - मैं प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं करूँगा/नहीं करूँगी।
 - प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण मेरे पास है।
 - मैंने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि नीचे दिया गया विवरण सही है :

क. पूरा नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी) [अंग्रेजी और हिन्दी में] :

ख. पिता/पति का नाम :

ग. वर्तमान पता [अंग्रेजी और हिन्दी में]

पता 1 :

पता 2 :

पता 3 :

नगर/शहर/गाँव :

जिला :

राज्य :

देश :

पिन कोड :

घ. स्थायी पता पता 1 :

पता 2 :

पता 3 :

नगर/शहर/गाँव :

जिला :

राज्य :

देश :

पिन कोड :

4. योग्यता

क) शैक्षिक / व्यावसायिक :

ख) बीमा :

- ग) प्राप्त प्रशिक्षण :
(उपर्युक्त सभी का स्वरूप एवं अवधि दर्शाएँ)

5. संपर्क

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

6. जन्मतिथि :

7. एकल स्वामी (यदि लागू हो तो नाम बताएँ) :

8. व्यावहारिक प्रशिक्षण का विवरण (कृपया सर्वेक्षक/सर्वेक्षण कर्म से प्राप्त प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र संलग्न करें)

सर्वेक्षक/सर्वेक्षक की कंपनी का नाम	सर्वेक्षक/सर्वेक्षक कर्म को आवंटित विभाग	सर्वेक्षक/सर्वेक्षण कर्म को आवंटित सदस्यता का स्तर	प्राप्त प्रशिक्षण की अवधि (कृपया तारीखें लिखें)	व्यक्ति(यों) का नाम जिनके अधीन प्रशिक्षण पाया	समाविष्ट क्षेत्र	परिणाम

9. अनुभव का विवरण :

- क) क्या आवेदक किसी बीमा कंपनी में नियुक्त था :
ख) बीमा सर्वेक्षक को छोड़कर पिछली नौकरी में कार्य का अनुभव, यदि कोई हो :
ग) अन्य व्यवसाय / रोजगार का विवरण :

10. व्यवसाय की स्थिति :

0 छात्र 0 व्यवसायी 0 कारोबार 0 कर्मचारी 0 सेवा 0 गृहिणी 0 अन्य

11. रोजगार का विवरण : (रोजगार के तारीख-वार क्रम से)

- क) क्या आवेदक वर्तमान में नियोजित है ? हाँ / नहीं :
ख) यदि हाँ, तो नीचे खोरा दे और नियोजता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की स्कैन की हुई प्रति भी संलग्न करें ।

नियोजता का नाम	संस्था का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/ अर्ध-सरकारी/निजी बीमा कंपनी, सर्वेक्षण कर्म, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य)	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

ग) किये गये किसी अन्य कार्य / व्यवसाय का विवरण :

कर्म का नाम	पदनाम	कार्य का स्वरूप

12. क्या कभी आपने सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया ? यदि हाँ, तो खोरा प्रस्तुत करें :

लाइसेंस सं. :

जारी करने की तारीख :

समाप्त होने की तारीख :

13. शुल्क का भुगतान : नेट बैंकिंग/डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस

सभी सर्वेक्षक श्रेणियों के लिए लागू शुल्क

संस्थान द्वारा आर्बिट्रल सदस्यता के आधार पर सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की श्रेणी	व्यक्तियों द्वारा देय राशि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
फेलो सदस्य	10000
सह-सदस्य	7500
लाइसेंसधारी सदस्य	5000

14. घोषणा :

मैं सत्बानिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

फार्म - आईआरडीए - 2 एलएफ

[विनियम 3(3) देखें]

अहस्तांतरणीय

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस सं.

बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस

(वैयक्तिक)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पता मकान सं. शाली.....

शहर/जिला..... राज्य.....

पिन कोड.....

*जी..... के एकमात्र स्वामी के रूप में कार्यरत हैं

और संस्थान की जिनकी सदस्यता संख्या..... है, को विनिर्दिष्ट शुल्क अदा करने तथा आवश्यक घोषणा करने के उपलक्ष्य में इसके द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-यूएम के अन्तर्गत..... से पाँच वर्ष की अवधि के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस (दिन)..... (माह)..... (वर्ष)..... को समाप्त होगा।

नाम..... को निम्नलिखित विभाग और श्रेणी आर्बिट्रल हैं :

विभाग	फाचर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	मिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

हैदराबाद, दिनांक : (दिन-माह-वर्ष)

1227 9/13-5

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

नामित व्यक्ति
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का आग्रे की अवधि के लिए नवीकरण करने की अपेक्षा की जाती है, तो विनियमों में बताई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण के पास लाइसेंस के समाप्त होने से कम से कम तीन दिन पहले पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई पहचान-चिह्न अथवा किसी प्रकार का कोई संकेत जिसके द्वारा किसी बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती हो, लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए।
3. इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आदेश नहीं किये जाएँगे।

फार्म - आईआरडीए - 3 - एएफ
[विनियम 4 देखें]

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु फर्म अथवा कंपनी से आवेदन

जी.सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

- 1) निदेशकों/साझेदारों को संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करना।
- 2) आवेदन की प्रस्तुति के दौरान "नेट बैंकिंग" के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
- 3) केवल नोटरी/पब्लिशर द्वारा साक्षात्कृत डिप्री/डिलोमा/तकनीकी योग्यताओं की स्कैन की हुई प्रतियाँ तैयार रखना।
- 4) आवेदन फार्म की क्रम सं. 2 के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र (एफिडेविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 5) जहाँ भी अपेक्षित है जहाँ दस्तावेजों की साक्षात्कृत और स्कैन की हुई प्रतियाँ संलग्न करना।
- 6) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" आकार का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आईआरडीए को भेजना।

टिप्पणियाँ : विनियम 4 के साथ पढ़ें

1. आवेदक का ध्यान बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था है कि जो कोई भी उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भी दस्तावेज में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह ऐसी प्रत्येक चूक के लिए 5 लाख रुपये से अनधिकृत दंड के लिए उत्तरदायी तथा जुर्माने से दंडनीय होगा।
2. एक फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनियों का समूह केवल एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जो उसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाएगा।
3. आवेदन में किये गये किसी भी सुधार अथवा परिवर्तन के लिए आवेदक को आद्यक्षर (इनीशियल्स) करने चाहिए।
4. कंपनी के नाम में "बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" जोड़ना चाहिए।
5. एक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) एक कंपनी/फर्म से अधिक के लिए निदेशक/साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
6. सभी निदेशक सर्वेक्षक का लाइसेंस रखेंगे जो विधिवत् लाइसेंसोक्त होंगे तथा संस्थान के सदस्य होंगे।

7. कंपनी/फर्म का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण, हानि निर्धारण और संबंधित कार्य करना होगा।
8. लाइसेंस के विवरण में कोई भी परिवर्तन आशुचित लाइसेंस प्रदान करने के लिए बीमा विनिधायक और विकास प्राधिकरण को 15 दिन के अंदर सूचित किये जाने चाहिए। फर्म की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. लागू किया जानेवाला शुल्क कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/साझेदार की सदस्यता के उच्चतम स्तर पर आधारित है।
10. गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर विधिवत् नोटरीकृत 10/- रुपये के एक शपथपत्र को स्कैन करना तथा आवेदनपत्र को क्रम संख्या 6 पर निर्दिष्ट रूप में एक घोषणा के रूप में लाइसेंस के नवीकरण के लिए संलग्न करना अपेक्षित है।
11. आवेदन फार्म की सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर आवेदक को एक ई-मेल सूचना प्रेषित की जाएगी।
12. प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को उक्त परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।

- यह अनुरोध है कि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए हमारे फर्म/कंपनी को निम्नलिखित विभागों और हमारे निदेशकों/साझेदारों को उनके वैयक्तिक सर्वेक्षक लाइसेंस के अंतर्गत आवंटित सदस्यता के स्तर के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए।

विभाग	फावर	मरीन कार्गो	मरीन हल	डुर्जीनिचरिंग	पोटर	मिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
निदेशकों/साझेदारों का नाम, उनके वैयक्तिक लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

- इसके द्वारा घोषणा की जाती है कि
 - (i) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा हमारी कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक / साझेदार को विक्षिप्त नहीं पाया गया है।
 - (ii) हमारी कंपनी / फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा अपराधिक दुर्विनियोजन अथवा अपराधिक विश्वासघात अथवा धोखेबाजी अथवा जालसाजी अथवा कोई भी अपराध करने के लिए अग्रप्रेरित करने अथवा प्रवास करने का दोषी नहीं पाया गया है।
 - (iii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार किसी भी धोखाधड़ी/भेड़मानी में जानबूझकर साझेदारी करने अथवा गुप्त रूप से सहयोग देने के लिए अथवा बीमा की किसी भी पॉलिसी अथवा बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अथवा बीमाकर्ताओं के कार्यों की जाँच-पड़ताल के दौरान बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलत बयानी करने के लिए दोषी नहीं पाया गया है।
 - (iv) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार अवयस्क नहीं है।
 - (v) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा चिनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा।
 - (vi) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/साझेदारों के पास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा चिनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण है।
 - (vii) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/साझेदारों ने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा स्याचिनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।
(उपर्युक्त घोषणा ऑनलाइन लाइसेंसोकरण प्रक्रिया में प्री-प्युलेट करेगी)

- यह भी घोषणा की जाती है कि नीचे दिया गया विवरण सही है :

1. कंपनी/फर्म का नाम (अंग्रेजी और हिन्दी में) :
2. कंपनी/फर्म का पता (अंग्रेजी और हिन्दी में) :
(पंजीकृत/कॉरपोरेट कार्यालय)

पिछले रोजगार का विवरण

नियोक्ता का नाम	संगठन का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी फर्म, बीमा कंपनी, सर्वेक्षक फर्म, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य)	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

ध्यान दें : जहाँ किसी निदेशक/साझेदार के पास पहले से ही वैयक्तिक लाइसेंस नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से भी आवेदन (फार्म सं. 1-एएफ. नवे लाइसेंस के लिए आवेदन - में) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- क्या फर्म/कंपनी के पास पहले कभी लाइसेंस था ?
यदि हाँ, तो नीचे विवरण दे और पुराने लाइसेंस की प्रति अपलोड करें।

एस्प्लए सं. :

जारी करने की तारीख :

समाप्त होने की तारीख :

नवीकरण न कराने के लिए कारण :

- शुल्क का भुगतान : नेट बैंकिंग/चॉक ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस
सर्वेक्षक की सभी श्रेणियों के लिए लागू शुल्क

कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/साझेदार की सदस्यता का उच्चतम स्तर	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक व्यक्तियों द्वारा देव राशि
केवलो सदस्य	25000
सह-सदस्य	20000
लाइसेंसधारी सदस्य	15000

- घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

फार्म - आईआरडीए - 4 एलएफ

[विनियम 4 देखें]

अहस्तांतरणीय

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस सं.

बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस

(कॉरपोरेट)

कंपनी/फर्म का नाम :

पंजीकृत पता :

1227 48/13-6

को विनिर्दिष्ट शुल्क अदा करने और आवश्यक घोषणा करने के उपलक्ष्य में इसके द्वारा दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... से पाँच वर्ष के लिए सर्वेक्षक/हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-पृष्ठ के अंतर्गत प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... को समाप्त होगा।

निदेशकों/साझेदारों का विवरण उनकी वैयक्तिक लाइसेंस संख्या एवं आवंटित विभागों और सदस्यता के स्तर सहित निम्नलिखित है

	निदेशक/ साझेदार का नाम	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	मिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
निदेशकों /साझेदारों के लाइसेंस और सदस्यता का विवरण									

हेदरबाद, दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....

निदेशकों /साझेदारों का नाम



फोटो
निदेशक 1

नाम

.....

हस्ताक्षर

.....
कंपनी/कार्य की मुहर



फोटो
निदेशक 2

नाम

.....



फोटो
निदेशक 3

नाम

.....

नामित व्यक्ति

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे की अवधि के लिए करने की अपेक्षा की जाती है तो विनियमों में बताई गई क्रियाविधि का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुँचाना चाहिए।

- यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई भी पहचान-बिद्ध अथवा किसी प्रकार का संकेत लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए जिससे बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती है।
- इस लाइसेंस पर कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आखिर नहीं किये जायेंगे।

फार्म - आईआरडीए - 5 एलएफ
[विनियम 7(1) देखें]

सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन (वैयक्तिक)

पॉच-सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

- संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना।
- आवेदन की प्रस्तुति के दौरान 'नेट बैंकिंग/मौग डाफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस' के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
- पिछले लाइसेंस की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।
- नोटरी द्वारा विधिवत् साक्ष्यंकित योग्यताओं की स्कैन की हुई प्रतियाँ संलग्न करना।
- आवेदन फार्म की क्रम सं. 6 के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र (एफिडेविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5"x10" आकार का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आईआरडीए को भेजना जिससे नवीकृत लाइसेंस की हार्ड प्रति प्रेषित की जा सके।
- नवीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व फार्म 12 (वार्षिक तौर पर) ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- आवेदन फार्म के साथ हाल में लिये गये पासपोर्ट आकार के फोटो की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करना।

टिप्पणियाँ : विनियम 7 के साथ पढ़ें

- सभी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक लाइसेंस की समाप्ति से 30 दिन पहले ऑनलाइन से आवेदन करेंगे।
- आवेदनपत्र में प्रश्नों के उत्तर में किये गये किसी भी सुधार या परिवर्तन के लिए आवेदक द्वारा आखिर किये जाने चाहिए।
- आवेदन फार्म के क्रम सं. 6 के समक्ष निहित तौर पर एक घोषणा के रूप में लाइसेंसों के नवीकरण के लिए गैर-व्याधिक स्टेम पेपर पर विधिवत् नोटरीकृत 10/- रुपये के शपथपत्र को स्कैन कराकर संलग्न करना अपेक्षित है।
- आवेदन फार्म की सफल प्रस्तुति पर आवेदक को एक ई-मेल सूचना प्रेषित की जाएगी।
- प्राधिकरण द्वारा आशोधित लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई सूचना में किसी भी परिवर्तन की जानकारी प्राधिकरण को परिवर्तन होने की तारीख से 15 दिन के अंदर अनिवार्यतः दी जानी चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूँ/करती हूँ कि निम्नलिखित लाइसेंस का नवीकरण पाँच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए करें।

- वर्तमान लाइसेंस का विवरण
एसएनएफ सं. (अनिवार्य) :
लाइसेंस का प्रभावी दिनांक :
समाप्ति की तारीख :
संस्थान की सदस्यता का विवरण :
सदस्यता/पहचान-पत्र संख्या :
पहचान-पत्र जारी करने की तारीख :
आशोधित सदस्यता का स्तर :
- सर्वेक्षक और हानि निवारक का नाम :
- स्थायी पता :

4. वर्तमान पता :

(यदि वर्तमान पते में परिवर्तन हो तो कृपया प्रमाणस्वरूप डॉक अपलोड करें)

5. आर्बिट्रल विभाग

विभाग	फायर	मरीन कागों	मरीन डल	इंजीनियरिंग	मोटर	मिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

6. मैं घोषित करता हूँ / करती हूँ कि लाइसेंस के लिए मेरे पिछले आवेदन की तारीख के बाद

- मैं सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विक्षिप्त नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
- मैं सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वासघात अथवा धोखेबाजी अथवा जानसाजी अथवा कोई भी अपराध करने के लिए अव्यभिचित करने अथवा प्रयास करने का/को दोषी नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
- मैं किसी भी धोखाधड़ी/बेईमानी में जानबूझकर साझेदारी करने अथवा गुप्त रूप से सहयोग देने अथवा बीमा को किसी भी पॉलिसी अथवा बीमाकर्ता के कार्यों की जाँच-पड़ताल के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलतबयानी करने का/को दोषी नहीं पाया गया हूँ/पायी गई हूँ।
- मेरा लाइसेंस किसी भी समय बीमा नियंत्रक/बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।
- मैं घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पास वह योग्यता निरंतर जारी है जिसके आधार पर मेरा उपर्युक्त लाइसेंस जारी किया गया था।
- सर्वेक्षण कार्य की कुल संख्या और मामलों की प्रत्येक श्रेणी में संबन्ध राशि निर्दिष्ट करते हुए वैधता अवधि के पिछले 5 वर्षों के दौरान मेरे द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य को वर्ष-वार और कंपनी-वार दशनिवाली कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के संबंध में एक बचनपत्र संलग्न है।
- सर्वेक्षण के कार्य के अतिरिक्त, मैं अन्य व्यवसायों से भी संबंधित रहा/रही हूँ जिसका विवरण नीचे दिया गया है :
अथवा
मैं किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित नहीं हूँ।
- बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी में अनर्हता के संबंध में उल्लिखित किसी भी उपबंध को लागू करते हुए मुझे कभी अवोग्य नहीं ठहराया गया है।

व्यवसाय की स्थिति :

छात्र व्यवसायी कारोबार कर्मचारी सेवा गृहिणी अन्य

रोजगार का विवरण :

क) क्या आवेदक वर्तमान में नियोजित है ? हाँ / नहीं :

ख) यदि हाँ, तो नीचे खोला दे और नियोजक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की स्कैन की हुई प्रति भी संलग्न करें।

नियोजता का नाम	संस्था का स्वरूप	कार्य का स्वरूप	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक
	(सरकारी/ अर्ध-सरकारी/निजी फर्म, बीमा कंपनी, सर्वेक्षण फर्म, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य)	(बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)		

ग) किये गये किसी अन्य कार्य / व्यवसाय का विवरण :

कंपनी/फर्म का नाम	पदनाम	कार्य का स्वरूप

7. क्या आवेदक 31 मई 1970 को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्यरत रहा है ?

यदि उत्तर हाँ है तथा आवेदक के पास बीमा अधिनियम, 1938 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में उल्लिखित कोई भी योग्यता नहीं है, तो आवेदक को बीमा नियमावली, 1939 में दिये गये रूप में और किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिबद्ध त्नी गई शपथ के तौर पर एक घोषणा अनिवार्यतः करनी होगी।

8. शुल्क का भुगतान

नवीकरण शुल्क के रूप में 200/- रुपये का शुल्क अदा किया जाना चाहिए।

यदि लाइसेंस समाप्त होने के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि तक प्रस्तुत किया जाता है तो 750 रुपये के जुर्माने के साथ लाइसेंस शुल्क 200 रुपये होगा (नोटरी द्वारा विधिबद्ध साक्ष्यांकित योग्यता की फोटोकॉपी सहित)।

9. घोषणा :

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक :

स्थान :

फार्म - आईआरडीए - 6 - एएफ
[विनियम 7(1) देखें]

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु
फर्म अथवा कंपनी से आवेदन

जी.सूची

कृपया निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :

- 1) निदेशकों/साझेदारों को संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना।
- 2) आवेदन की प्रस्तुति के दौरान "नेट बैंकिंग" के माध्यम से शुल्क (जैसा कि विनियमों में उल्लिखित है) का ऑनलाइन भुगतान करना।
- 3) नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित डिग्री/डिप्लोमा/तकनीकी योग्यता की स्कैन की हुई प्रतियाँ तैयार रखना।
- 4) आवेदन फार्म की क्रम सं. 3 के लिए विधिबद्ध नोटरीकृत शपथपत्र (एफिडेविट) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न करना।
- 5) 40 रुपये के डाक टिकट से युक्त 4.5" x 10" आकार का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा आईआरडीए को भेजना ताकि लाइसेंस प्रमाणपत्र की हार्ड प्रति प्रेषित की जा सके।
- 6) नवीकरण के लिए आवेदन करने से पहले फार्म 12 (वार्षिक तौर पर) ऑनलाइन प्रस्तुत करना।

टिप्पणियाँ :

1. आवेदन 200 रुपये के नवीकरण शुल्क के साथ जो नेट बैंकिंग/डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन अदा किया जाना चाहिए, लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

1227 65/13-7

के लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

3. इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि

- (i) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा हमारी कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक / साझेदार को विधिगत नहीं पाया गया है।
- (ii) हमारी कंपनी / फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनिर्वाह अथवा आपराधिक विश्वासघात अथवा धोखाबाजी अथवा जालसाजी अथवा कोई भी अपराध करने के लिए अप्रैरित करने अथवा प्रवास करने का दोषी नहीं पाया गया है।
- (iii) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार किसी भी योग्यवर्ती/बेईमानी में जानबूझकर साझेदारो करने अथवा गुप्त रूप से सहयोग देने के लिए अथवा बीमा की किसी भी पॉलिसी अथवा बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अथवा बीमाकर्ताओं के कार्यों की जांच-पड़ताल के दौरान बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध गलतबयानी करने के लिए दोषी नहीं पाया गया है।
- (iv) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार अवयस्क नहीं है।
- (v) हमारी कंपनी/फर्म का कोई भी निदेशक/साझेदार प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (vi) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/साझेदारों के पास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण है।
- (vii) हमारी कंपनी/फर्म के सभी निदेशकों/साझेदारों ने प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(उपर्युक्त घोषणा ऑनलाइन लाइसेंसोकरण प्रक्रिया में प्रीपॉपुलेट करेगी)

4. यह घोषणा की जाती है कि फर्म का प्रत्येक निदेशक/साझेदार जो उस समय एक निदेशक/साझेदार था जब उपर्युक्त लाइसेंस जारी किया गया था तथा जो अब निदेशक/साझेदार है, अधिनियम की धारा 64-सूएम की उपधारा (1) के खंड (डी) की अपेक्षाएँ लगातार पूरी कर रहा है।

यह भी घोषणा की जाती है कि जिन सभी निदेशकों और साझेदारों के पते और जन्मतिथियाँ प्रस्तुत की गई हैं वे :

- क) 26 अक्टूबर 1968 को सर्वोच्च और हानि निर्धारक के रूप में कार्यरत रहे हैं, अथवा
- ख) इंडीनिवर्गिंग की किसी भी शाखा में एक मान्यताप्राप्त विनियमालय से प्राप्त उपाधि (डिग्री) रखते हैं, अथवा
- ग) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान अथवा भारतीय लागत और कार्य (वर्क्स) लेखाकार संस्थान के फेलो अथवा असोसिएट सदस्य हैं, अथवा
- घ) बीमाकृत योग्यताएँ रखते हैं अथवा किसी भारतीय विनियमालय अथवा बीमा से संबंधित किसी संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं, अथवा
- ङ) सरकार द्वारा प्रदत्त अथवा मान्यताप्राप्त बीमा में डिप्लोमा रखते हैं, अथवा
- च) नियम 56-ए में उल्लिखित तकनीकी योग्यताओं में से कोई योग्यता रखते हैं।

(उपर्युक्त घोषणा ऑनलाइन लाइसेंसोकरण प्रक्रिया में प्रीपॉपुलेट करेगी)

ध्यान दें 1. ऐसे प्रत्येक निदेशक / साझेदार के मामले में जो लाइसेंस के लिए पिछले आवेदन की तारीख को साझेदार / निदेशक नहीं था :-

- (i) जहाँ यह उपर्युक्त मद (क) के अंतर्गत होने का दावा करता है तथा उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी मद के अंतर्गत होने के लिए पात्र नहीं है, वहाँ बीमा नियमावली, 1939 में दिये गये रूप में तथा किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ-ग्रहण किये गये रूप में एक घोषणा प्रेषित की जानी चाहिए; एवं जहाँ यह उपर्युक्त (ख) से (च) तक की किसी भी मद के अंतर्गत होने का दावा करता है वहाँ या तो डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ उनमें से प्रत्येक की साक्षात्कृत प्रतियों के साथ अथवा मूल डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों की एक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिगत साक्षात्कृत प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। जहाँ मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं, वहाँ

उन्हे अवलोकन के पश्चात् लौटाया जाएगा, परंतु ऐसी मूल प्रतियों के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. निदेशकों का विवरण

क) निदेशक/साझेदार का नाम :

एसएनए सं. :

समाप्ति की तारीख :

संस्थान की सदस्यता का विवरण :

सदस्यता पहचान-पत्र संख्या :

पहचान-पत्र जारी करने की तारीख :

आबंटित सदस्यता का स्तर :

नाम :

पता :

आबंटित विभाग

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	मिसिलेनिवस	फसल बीमा	एलओपी
लाइसेंस का विवरण और सदस्यता का स्तर								

ध्यान दें : जहाँ किसी निदेशक/साझेदार के पास पहले से ही वैयक्तिक लाइसेंस नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति से भी आवेदन (फार्म सं. 1-एएफ- नये लाइसेंस के लिए आवेदन- में) प्रप्तुत किया जाना चाहिए।]

पिछले रोजगार का विवरण

नियोक्ता का नाम	संगठन का स्वरूप (सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी फर्म, बीमा कंपनी, सर्वेक्षक फर्म, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, अन्य)	कार्य का स्वरूप (बीमा सर्वेक्षण से संबंधित, अन्य)	नियोजन की अवधि	
			किस तारीख से	किस तारीख तक

6. घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
(डिजिटल हस्ताक्षर)

कंपनी/फर्म का नाम :

कारपोरेट लाइसेंस संख्या :

कंपनी/फर्म की मुहर

फार्म - आईआरडीए - 7 एलएफ
[विनियम 7(3) देखें]
अहस्तांतरणीय
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
लाइसेंस सं.

बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस का नवीकरण (वैयक्तिक)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पता.....

श्री के/की एकमात्र स्वामी के रूप में कार्यरत हैं और संस्थान में जिनकी सदस्यता संख्या है, द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क अदा किये जाने तथा आवश्यक घोषणा की जाने के उपलक्ष्य में सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्रदत्त उनके लाइसेंस सं. दिनांक का नवीकरण एतद्वारा (दिन) (माह) 20..... तक किया जाता है।

नाम.....को निम्नलिखित विभागों और श्रेणी का आवंटन किया जाता है :

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	भिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

हेदरकाद, दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

नामित व्यक्ति
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे की अवधि के लिए करने की अपेक्षा की जाती है तो विनियमों में बताई गई क्रियाविधि का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई भी पहचान-चिह्न अथवा किसी प्रकार का संकेत लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए जिससे बीमाकर्ता को पहचान प्रकट हो सकती है।
3. इस लाइसेंस पर कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आद्यक्षर (इनीशियल्स) नहीं किये जाएंगे।

1227 95/13-8

फार्म - आईआरडीए - 8 एनएफ
[विनियम 7(3) देखें]
अहस्तांतरणीय
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

लाइसेंस सं.

बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए
लाइसेंस का नवीकरण (फॉरपोरेट)

नाम :

पता :

को विनिर्दिष्ट शुल्क अदा करने तथा आवश्यक घोषणा करने के उपलक्ष्य में एतद्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-यूपम के अधीन दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... से पाँच वर्ष के लिए सर्वेक्षक और हानि निवारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस (दिन-माह-वर्ष)..... को समाप्त होगा।

निदेशकों/साझेदारों को निम्नलिखित विभागों और श्रेणियों का आबंधन किया जाता है :

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	फायर	भरत कागों	भरत हल	इंजीनियरिंग	मोटर	मिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
निदेशक के लाइसेंस और मददगार का विवरण									

हेदराबाद, दिनांक (दिन-माह-वर्ष).....

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

फर्म/कंपनी की मुहर.....

.....
नामित व्यक्ति
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे की अवधि के लिए करने की अपेक्षा की जाती है तो विनियमों में बताई गई क्रियाविधि का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वोच्च और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई भी पहचान-पत्र अथवा किसी प्रकार का संकेत लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए जिससे बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती है।
3. इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आराखर (इनीशियल्स) नहीं किये जाएँगे।

फार्म - आईआरडीए - 9
[विनियम 10(1) देखें]

लाइसेंस की अनुलिपि (डुप्लिकेट) के लिए आवेदन

मैं/हम खेदसहित आपको सूचित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा लाइसेंस सं. _____ जिसकी समाप्ति की तारीख (दिन-माह-वर्ष) _____ है,
 खो गया है नष्ट किया गया है कटा-फटा है

जो निम्नलिखित परिस्थितियों में घटित हुआ है

लाइसेंस की अनुलिपि (डुप्लिकेट) जारी करने के लिए रु. 5/- का शुल्क भी अदा किया गया है।
(शुल्क का भुगतान : नेट बैंकिंग/डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से)

अतः मैं/हम प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि कृपया ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों के आलोक में लाइसेंस की एक अनुलिपि (डुप्लिकेट) जारी करें।

चोषणा

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं और पुष्टि करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

यदि मूल लाइसेंस का पता लग जाता है, तो मैं/हम आपको आश्वासन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि वह प्राधिकरण को लौटा दिया जाएगा।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

फार्म - आईआरडीए - 10-एलएफ
[विनियम 10(3) देखें]
अहस्तांतरणीय

लाइसेंस सं.

लाइसेंस की अनुलिपि

नाम.....
.....पता : मकान सं. गली,..... नगर/जिला, ..
राज्य.....,पिन कोड.....

को केवल पाँच रुपये अदा करने तथा लाइसेंस के खो जाने/नष्ट किये जाने/फटे-फटे होने की आवश्यक घोषणा करने के उपलक्ष्य में एलएफ द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64-यूएम के अधीन लाइसेंस की समाप्ति तक श्रेष्ठ अवधि के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस दिनांक (दिन-माह-वर्ष)..... को समाप्त होगा।

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक निम्नलिखित विभागों के लिए कार्य करना जारी रखेगा :

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	मिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
श्रेणी								

हैदराबाद, दिनांक.....20.....

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर.....

फर्म/कंपनी की मुहर.....

नामित व्यक्ति
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

टिप्पणियाँ :

1. यदि इस लाइसेंस का नवीकरण आगे की अवधि के लिए करने की अपेक्षा की जाती है तो विनियमों में बतलाई गई क्रियाविधि का अनुसरण किया जाएगा तथा नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले प्राधिकरण के पास पहुँच जाना चाहिए।
2. यह लाइसेंस किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंसधारक को प्राधिकृत करता है तथा इस कारण से ऐसा कोई भी पहचान-चिह्न अथवा किसी प्रकार का संकेत लाइसेंस पर अंकित नहीं किया जाना चाहिए जिससे बीमाकर्ता की पहचान प्रकट हो सकती है।
3. इस लाइसेंस में कोई भी सुधार तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकरण के नामित व्यक्ति द्वारा आदेश (इनीशियल) नहीं किये जायेंगे।

फार्म - आईआरडीए - 12
[विनियम 19(ख) देखें]

प्राधिकरण को विवरणों की वार्षिक प्रस्तुति के लिए फार्मेट

- सर्वेक्षक का नाम :
- लाइसेंस का विवरण :
वर्तमान एसएलए सं. :
समाप्ति की तारीख (दिन-माह-वर्ष) :
- पिछले 1 वर्ष के दौरान प्राप्त योग्यताएँ (प्रमाण के लिए डॉक अपलोड करें)
क) शैक्षणिक / व्यावसायिक :
ख) बीमा :
ग) प्राप्त प्रशिक्षण :
(उपरोक्त सभी का स्वरूप और अवधि बताएँ)
- पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये सर्वेक्षणों की संख्या और बीमाकर्ताओं के नाम :
20 - 20

बीमाकर्ता	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	मिसिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी	कुल
क									
ख									
ग									
घ									
.....									

- पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित हानियों की मात्रा :
20xx-20xx

फायर	सं.	मरीन कार्गो	सं.	मरीन हल	सं.	इंजीनियरिंग	सं.	मोटर	सं.	मिसिले नियस	सं.	फसल बीमा	सं.	एलओपी	सं.
>10 लाख		>1 लाख		>10 लाख		>2.5 लाख		> 50,00 0		>1 लाख				>10 लाख	
1-10 लाख		25,00 0- 1 लाख		2.5- 10 लाख		50,000 - 2.5 लाख		10,00 0- 50,00 0		25,00 0- 1 लाख				1-10 लाख	
0-1 लाख		0- 25,00 0		0-2.5 लाख		0- 50,000		0- 10,00 0		0- 25,00 0				0-1 लाख	
कुल															

122795/13-9

6. घोषणा

मैं,..... सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ/करती हूँ और पुष्टि करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक :

स्थान :

फार्म - आईआरडीए - 13

प्रशिक्षणार्थियों के रूप में नामांकन के लिए निर्धारित फार्मेट

(विनियम 16(1))

अनुदेश :

- 1) संस्थान द्वारा जारी किये गये छात्र सदस्यता पहचान-पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2) नामांकन के लिए आवेदन के साथ प्रशिक्षक/सर्वेक्षक फर्म का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3) नामांकन के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों पर आईआरडीए द्वारा कार्रवाई प्रशिक्षणार्थी द्वारा चयनित प्रशिक्षक/सर्वेक्षक फर्म से प्रमाणपत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी।
- 4) प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई सूचना में किसी भी परिवर्तन की जानकारी अनिवार्यतः प्राधिकरण को परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर दी जानी चाहिए।

आवेदक का विवरण

1. नाम :
2. संस्थान की सदस्यता का विवरण :
छात्र सदस्यता संख्या :
3. स्थायी पता :
4. वर्तमान पता :
5. संपर्क का विवरण

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

6. जन्मतिथि :
7. राष्ट्रियता :

वर्तमान पता :
संपर्क का विवरण

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आइडी	वैकल्पिक ई-मेल आइडी

13. घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ तथा पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक :

स्थान :

फार्म-आईआरडीए-14

प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृति देनेवाले प्रशिक्षक सर्वेक्षक से प्रमाणपत्र का फार्मेट (विनियम 16(1))

महत्वपूर्ण अनुदेश :

यह फार्म प्रशिक्षणार्थी सर्वेक्षक के नामांकन के संबंध में स्वघोषित सूचना प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षक द्वारा भरा जाना आवश्यक है।

मैं _____ (सर्वेक्षक/सर्वेक्षक फर्म का नाम) सर्वेक्षक के लाइसेंस सं. _____ का धारक तथा सदस्यता का विवरण _____ यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री/सुश्री _____ को निम्नलिखित विभाग/विभागों में प्रशिक्षणार्थी सर्वेक्षक के रूप में प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया है :
(i) _____ (ii) _____ (iii) _____ (iv) _____ (v) _____
(vi) _____ (vii) _____ (viii) _____

यदि शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित सूचना का सत्यापन किया है तथा मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि यह सूचना सचार्थ और सही है। मैं संस्थान का सदस्य हूँ तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उन विभागों के लिए जारी किया गया है सर्वेक्षक का लाइसेंस धारण करता हूँ जिनके लिए मैं व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा हूँ।

मैं अपनी अधिकतम जानकारी और साधर्म्य के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का वचन देता हूँ तथा प्रशिक्षणार्थी द्वारा रखे जानेवाले अभिलेखों के आधार पर साप्ताहिक आधार पर उनके कार्यनिष्ठादन का पर्यवेक्षण करने एवं निर्धारित रूप में और तरीके से तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति के माध्यम से प्रगति के बारे में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित करते रहने के लिए स्वीकृति देता हूँ।

सर्वेक्षक का लाइसेंस सं.:

समाप्ति की तारीख :

दिनांक :

पता :

संपर्क :

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आईडी	वैकल्पिक ई-मेल आईडी

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर :

दिनांक :

स्थान :

फार्म-आईआरडीए-15
तिमाही रिपोर्ट - दैनिक डायरी के लिए फार्मेट
(विनियम 16(3))

महत्वपूर्ण अनुदेश :

दैनिक डायरी के लिए फार्मेट

(प्रशिक्षण देनेवाले सर्वेक्षक द्वारा रखा जाना चाहिए और तिमाही आधार पर सॉफ्ट रूप में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट : _____ (माह/वर्ष)

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम :

2. पता :

3. संपर्क :

फोन कार्यालय	फोन निवास	फैक्स	मोबाइल	ई-मेल आईडी	वैकल्पिक ई-मेल आईडी

4. प्रशिक्षण देनेवाले सर्वेक्षक/सर्वेक्षक फर्म का नाम :

वर्तमान लाइसेंस सं. :

समाप्त होने की तारीख :

सदस्यता का विवरण

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	इंजीनियरिंग	मोटर	मिशिलेनियस	फसल बीमा	एलओपी
सदस्यता का स्तर								

1227 657/13-10

प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तारीख :

विभाग	दिये गये प्रशिक्षण की विषय-वस्तु (सॉफ्ट रूप में अपलोड करें और जहाँ संभव हो, समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

फॉर्म-आईआरडीए-16
प्रशिक्षण समापन प्रमाणपत्र
(विनियम 16(3))

महत्वपूर्ण अनुदेश :

प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए

एसएलए सं. :

<<प्रशिक्षक का नाम>>

<<प्रशिक्षक का पता>>

समाप्ति की तारीख :

<<प्रशिक्षक की योग्यता>>

सदस्यता पहचान पत्र सं. :

सदस्यता का स्तर.....

सर्वेक्षक और हानि निवारक

<विभागों की सूची जिनमें प्रशिक्षक लाइसेंस प्राप्त है>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... ने मेरे पास 12 महीने/6 महीने की अवधि के लिए <तारीख> से <तारीख> तक <चेक बॉक्स सहित विभागों की सूची> विभाग/विभागों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने सर्वेक्षण और हानि निवारण करने के लिए <विभाग> के विभिन्न पहलुओं को सीखा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान मैंने पाया कि वे परिश्रमी, ईमानदार और समझदार हैं। मेरी राय में वे सर्वेक्षण की सभी प्रक्रियाओं में पूर्णतः कुशल हैं तथा उनके उज्वल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएँ।

<अतिरिक्त टिप्पणी, यदि कोई हो>

<प्रशिक्षक का नाम>

सर्वेक्षक और हानि निवारक

एसएलए संख्या..... समाप्ति की तारीख.....

सदस्यता संख्या..... सदस्यता का स्तर.....

फार्म-आईआरडीए-17 एएफ

विनियम 3(2)(सी)

आशोक्षित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का फार्मेट
वैयक्तिक सर्वेक्षक

सहायपूर्ण अनुदेश :

प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को अनिवार्यतः परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए, प्रमाणस्वरूप दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।

- नाम
फर्म/कंपनी का नाम (जहाँ भी लागू हो)..... टिप्पणी.....
- एसएलए संख्या..... समिति का दिनांक..... सदस्यता पहचान संख्या..... सदस्यता का स्तर.....
- वर्तमान पता :
पता 1 : पता 2 : पता 3 :
.....
नगर/शहर/ग्राम : जिला : राज्य :
.....
देश : पिन कोड :
टिप्पणी :
- लाइसेंसधारी के नाम में परिवर्तन
- एकमात्र स्वामित्व वाले फर्म के निगमन का नाम :
..... टिप्पणी
.....
- अतिरिक्त विभाग प्रदान करना :

विभाग	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	डुईनियरिंग	बोटर	मिसिलेनियस	फसल बीमा
एलओपी चयन करें	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>							

○ विभागों का विनियम :

चयन करें	वर्तमान विभाग	नये विभाग का चयन करें	लाइसेंस की श्रेणी (श्रेणीकरण के अनुसार)

टिप्पणी : (क्या हम इसे हटा दे क्योंकि हम विभागों के विषय में प्रतिबंध समाप्त करते हैं)

- पहले से जारी किये गये लाइसेंस में सुधार (जहाँ जारी किये गये लाइसेंस में मूद्रण संबंधी त्रुटि हो)

- संस्थान द्वारा आवंटित सदस्यता के स्तर में परिवर्तन

..... स्तर से स्तर में (इस प्रकार का/के परिवर्तन और उसके लिए कारण निर्दिष्ट करते हुए संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की सौफ्ट प्रॉति संलग्न करें)

- वैयक्तिक सूचना में परिवर्तन :

फोन सं. (निवास)..... फोन सं.
(कार्यालय).....
मोबाइल सं.
ई-मेल : वैकल्पिक ई-मेल
:
टिप्पणी :

आवेदक के हस्ताक्षर :

स्थान :
दिनांक :

फार्म-आईआरडीए-18

विनियम [4(1)(ख)]

आशोषित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का फार्मेट
कॉर्पोरेट सर्वेक्षक

महत्वपूर्ण अनुदेश :

प्राधिकरण को प्रस्तुत सूचना में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को अनिवार्यतः परिवर्तन की तारीख से 15 दिन के अंदर सूचित किया जाना चाहिए, प्रमाणस्वरूप दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें ।

आशोषण के प्रकार का चयन करें

- नाम
फर्म/कंपनी का नाम
टिप्पणी.....
- कॉर्पोरेट लाइसेंस संख्या..... समाप्त होने की तारीख
.....
- कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय का पता :
पता 1 : पता 2
:
पता 3 :
- नगर/शहर/ग्राम : जिला : राज्य
:
देश : पिन कोड :
- टिप्पणी :
- शाखा कार्यालय का पता :
शाखा का चयन करें ○ पुणे ○ सातारा ○ नासिक
पता 1 : पता 2
:
पता 3 :

नगर/शहर/ग्राम : जिला : राज्य :

.....

देश : पिन कोड :

टिप्पणी :

- निदेशक/साझेदार के किवरण में परिवर्तन :
- नये निदेशक/साझेदार को शामिल करें ○ वर्तमान निदेशक/साझेदार को हटाएँ ○
 वर्तमान निदेशक/साझेदार को बदलें
- कर्मचारी में परिवर्तन :
- नये कर्मचारी/कर्मचारियों को शामिल करें ○ वर्तमान कर्मचारी/कर्मचारियों को हटाएँ
- शोचकारिता के स्वरूप और प्रवर्तक (प्रवर्तकों) में परिवर्तन
- पहले से जारी किये गये लाइसेंस में सुधार (जहाँ जारी किये गये लाइसेंस में सुधार की त्रुटि हो) :
- निदेशक (निदेशकों/साझेदार (साझेदारों) को संस्थान द्वारा आर्बाइत सदस्यता के स्तर में परिवर्तन
 स्तर से स्तर में (इस प्रकार का/के परिवर्तन और उसके लिए
 कारण निर्दिष्ट करते हुए संस्थान द्वारा जारी किये गये सदस्यता प्रमाणपत्र की सॉफ्ट प्रतिलिपि संलग्न करें)
- कॉरपोरेट सर्वेइक द्वारा शाखा कार्यालय/कोई अन्य कार्यालय खोलना
- वैयक्तिक सूचना में परिवर्तन :
- फोन सं. (निवास)..... फोन सं.
 (कार्यालय).....
 मोबाइल सं.
 ई-मेल : वैकल्पिक ई-मेल
 :
- टिप्पणी :

निदेशक/साझेदार के हस्ताक्षर :
 कंपनी की मुहर

दिनांक :

स्थान :

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/12/असा.]

1227 47/13-11

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 13th March, 2013

INSURANCE SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS (LICENSING, PROFESSIONAL REQUIREMENTS AND CODE OF CONDUCT) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2013

E. No. IRDA/Reg./18/76/2013.— In exercise of the powers conferred by sections 42D, 64UM and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with section 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, to further amend the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) (Amendment) Regulations, 2013

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

(i) In Regulation 2, the following new clauses shall be inserted:

(ca) Associate member: Any Licentiate Member holding valid Surveyor and Loss Assessor license continuously for a period not less than 8 years and upon fulfillment of other criteria set out in Regulation 14A (1) (ii).

(cb) Corporate surveyor means company incorporated under Companies Act 1956 or Firm formed under Partnership Act 1932, including LLP (Limited Liability Partnership) incorporated under LLP Act 2008, licensed to act as Surveyor and Loss Assessor.

(da) Fellow Member:

Any Associate Member holding valid Surveyor and Loss Assessor license continuously for a period not less than 8 years and fulfills other criteria set out in Regulation 14A(1) (ii).

(ea) "Institute"- means the Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) promoted by IRDA under section 14 of IRDA Act, 1999 and incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956.

(fa) Licentiate Member: Any person holding a valid license issued by the Authority to act as surveyor and loss assessor, and fulfills other criteria set out in Regulation 14 A(1) (ii).

(fb) "Member"- means the member of the Institute and includes Student member, Licentiate member, Associate member and Fellow member.

(fc) "Surveyor and Loss Assessor" – means a person who is a member of the Institute and licensed by the Authority to act as Surveyor and Loss Assessor.

(fd) "Student Member" means any person who is member of Institute and enrolls himself as trainee with IRDA for seeking practical training to obtain a license to act as Surveyor and Loss Assessor.

(fe) Membership level of a surveyor means level allotted by the institute to the member, based on the criteria set out in Regulation 14A of these Regulations.

3. LICENSING PROCEDURE

(i) Regulation 3, is substituted by the following:

- (1) Every person who is a student member of the Institute and intending to act as a surveyor and loss assessor in respect of general insurance business shall apply to the Authority for grant of license in FORM-IRDA-1-AF as given in the Schedule to these regulations.
- (2) The Authority while considering the application made under sub-regulation (1) for grant of license as a SLA, take into consideration all matters relating to the duties, responsibilities and functions of surveyor and loss assessor and satisfy itself that the applicant is a fit and proper person to be granted a license. In particular and without prejudice to the foregoing, the Authority shall satisfy itself that the applicant, satisfy all the requirements of section 64 UM read with section 42 D of the Act and rule 56 A of Insurance Rules, 1939 and fulfills the eligibility criteria set out in Regulation 3A of these regulations.
 - a. The applicant shall pay fees applicable to the Licentiate level of membership, through online net banking /RTGS/NEFT/Demand Draft (in favour of IRDA payable at Hyderabad) and furnish evidence of payment.
 - b. Documents to be enclosed (can be submitted online followed by hard copy) :
 - a) Application in Form- IRDA- 1AF duly completed in all respects.
 - b) Copy of Membership certificate issued by the Institute, indicating Student Membership No, Date of Issue etc
 - c) Copy of recent photo- 1
 - d) Copy of PAN
 - e) Copy of Proof of residence
 - f) Proof of qualification
 - g) Copy of Training completion certificate
 - h) Copy of quarterly reports(4 quarters)
 - i) Copy of mark sheet in proof of having passed the Surveyor examination as provided under Regulation 16 of these regulations.
 - j) No Objection Certificate from employer, if employed
 - k) Affidavit as stated under sl no 3 of FORM- IRDA-1AF (to be uploaded in soft form at the time of submission of application through online)
 - l) Self-addressed envelope of 4.5"x10" with Rs.40 postage stamp
 - m) Demand draft, in case fee is paid by DD
 - n) Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT
 - o) Any other document/information that may be required by the Authority from time to time (Copies of documents sl no c to j shall be notarized)
 - c. Disclosures:
 - i) Submit a declaration that he/she shall file with the Authority, any changes in the information submitted to the Authority within 15 days of such change and apply in the FORM-IRDA-17 AF as given in Schedule to these Regulations, for grant of modified license. The license issued by the Authority (in original) shall be surrendered at the time of application for grant of modified license.
 - ii) submits such other information as may be required by the Authority from time to time
- (3) The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for grant of licence, shall grant the same in FORM-IRDA-2-LF as given in the Schedule to these regulations, mentioning the level of membership granted by the institute, particular class/department or subject of general insurance business namely, fire, marine cargo, marine hull, engineering, motor, miscellaneous, Crop Insurance and loss of profit allotted based on their technical/professional/Insurance qualification and other qualifications as specified under Regulation 3(2) of IRDA Surveyor Regulations

3A Eligibility Criteria

i) Qualifications (one or more of the following):

- a) Qualifications stated under Section 64UM read with Section 42 D of the Insurance Act 1938,
- b) Additional technical qualifications as stated under Rule 56 A of Insurance Rules, 1939
- c) Post Graduate Diploma in General Insurance from I.I.R.M.
- d) B.Sc in Agricultural Science from a recognized university
- e) Additional technical qualification as may be specified by the Authority from time to time.
- f) Shall be a "Student/Member" of the Institute.

ii) Training :

- a) Practical training for a period not less than twelve months as specified in Regulation 16 (1)
- b) Such other training which the authority may specify from time to time.

Explanation: Any person who has undergone the requisite training for obtaining a license to act as surveyor and loss assessor, as stated under (ii) (a) above may undergo such other training as may be specified by the Authority.

iii) Examination:

Passing of relevant paper/s of Surveyor Examination conducted by Insurance Institute of India or the Institute authorised by IRDA.

Explanation: Any person who has successfully completed the examination for obtaining a license to act as surveyor and loss assessor, need not undertake such examination as stated under (iii) above at any point of time.

3B. Allotment of department/area of work at the time of grant of license to act as Surveyor and loss assessor shall be as specified by IRDA from time to time

- (4) A surveyor and loss assessor, whose licence has been cancelled or suspended for any reason, may submit an application for issuance of licence, after the expiry of three years from the date of such cancellation or suspension, and, such an application shall be treated as a fresh case, and, accordingly, the applicant shall satisfy all the requirements of sub-regulation (2).
- (5) A surveyor and loss assessor shall be subject to level of membership in the Institute as specified in Chapter V of these regulations
- (6) A license issued before the commencement of these regulations, by IRDA shall be deemed to have been issued in accordance with these regulations.

(ii) Regulation 4, is substituted by the following:(1) Application for grant of fresh corporate license and related matters

- i) Where the applicant is an applicant for corporate surveyor, the Authority shall satisfy itself that the applicant shall submit the application complete in all respects, satisfy all the applicable requirements of section 64UM read with section 42D of the Act and rule 56A of the Insurance rules, 1939 and shall conform mutatis-mutandis to the eligibility criteria set out in Regulation 3 A of these regulations.

Provided that none of the directors or partners suffers from any of the disqualifications mentioned in section 42 D of the Insurance Act, 1938 read with Section 42(4) of the Act.

- ii) There shall be at least two directors/partners in the company /firm at any point of time who are members of the institute and are licensed to act as surveyor and loss assessor. The department and level of membership of the director/partner under their individual surveyor license shall become the department and level of membership of the Company/firm. Any licensed surveyor and loss assessor appointed as director/partner of a firm /company seeking application for grant of corporate license, shall undertake survey jobs and issue survey reports only in the capacity of director/partner of the applicant company/firm.
- iii) Licensed surveyors who are working as employees of the company/firm shall undertake survey jobs only of that company/firm with whom he/she is employed with. The employee shall undertake survey

- jobs only in those department and level of membership allotted to him/her under his/her individual license.
- iv) Upon grant of corporate license, the company/firm can undertake survey jobs only in those department and level of membership displayed against each of the director/partner in the corporate license issued by the Authority.
- v) None of the directors or partners of one corporate surveyor shall be appointed as director or partner in another corporate surveyor.
- vi) The main object of the company/firm shall be to carry out insurance survey and loss assessment and name of the company or firm shall include the words "Insurance Surveyors and Loss Assessors"
- vii) the aggregate holdings of equity shares held by a foreign company shall be disclosed at the time of making the application for grant of license, which shall not at any time, exceed 26% of the paid up equity capital of the applicant or such other percentage as may be specified by the Authority". The manner of calculation of 26% FDI shall be identical to the one specified for Indian Insurance Companies.
- viii) Ensure that the same promoter/subscriber of the applicant does not have more than one corporate surveyor license. "Promoter/Subscriber" shall be as defined in the "Companies Act, 1956".
- ix) Shall pay fees based on the highest level of membership of any of the directors/partners as provided under Regulation 5, through online net banking /RTGS/NEFT/Demand Draft (in favour of IRDA payable at Hyderabad) and furnish evidence of payment.
- x) Documents to be enclosed (can be submitted online followed by hard copy) :
- Application in Form- IRDA- 3AF duly completed in all respects.
 - Copy of Membership certificate issued by the Institute to the directors/partners, indicating Membership No, Date of Issue etc
 - Copy of one recent photo of directors/partners
 - Copy of Surveyor license of directors/partners
 - Copy of certificate of incorporation issued by ROC in case of company
 - Copy of Partnership deed in case of a firm duly signed by all the partners
 - Copy of Memorandum and Articles of association of the company
 - Copy of Form no 32 filed with ROC
 - Copy of Form no 18 filed with ROC
 - Copy of Form 4 filed with ROC.
 - Copy of TAN
 - Proof of qualification of directors/partners
 - Affidavit as stated in FORM- IRDA-3AF (to be submitted in soft form at the time of submission of application through online)
 - Self addressed envelope of 4.5"x10" with Rs.40 postage stamp
 - Demand draft, in case fee is paid by DD
 - Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT
 - Any other document/information that may be required by the Authority from time to time (Copies of documents s/n o d to m shall be notarised)
- xi) Disclosures:
- Submit a declaration that prior to joining corporate firm, the individual surveyors shall complete all jobs entrusted to them completed within the timelines provided under Regulation 9 of PPI Regulations, and that upon grant of corporate license, such surveyors, shall henceforth work only under the corporate license.
 - Such other additional requirements as may be specified by the Authority from time to time.
 - Submit a declaration that they shall submit information about resignation/death/suspension of director/partner, change in share holding pattern and such other material changes to the Authority and apply in FORM-IRDA- 18AF as given in the Schedule to these regulations

within 15 days of such change for grant of modified license. The license issued by the Authority (in original) shall be surrendered at the time of application for grant of modified license.

- d) Submit details of those members who hold license to act as surveyor and are employed in the registered office and branch office/s of the firm/company to conduct survey jobs on behalf of the company/firm

xii) The applicant referred to in regulation 4(1) shall apply in FORM-IRDA-3-AF as given in the Schedule to these regulations.

The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for grant of license, shall grant the same in FORM-IRDA-4-LF as given in the Schedule to these regulations, indicating the department and membership level of the corporate surveyor. Such membership level shall be the highest level at which the corporate surveyor can function.

(iii) Regulation 5, is substituted by the following:

The fee payable to the Authority by fresh applicants for grant of licence to act as surveyors and loss assessors, membership level wise, shall be as stated in the following table:

S.no	Membership level Surveyor & Loss Assessor in the Institute	Amount Payable by Individuals including sole proprietor (Rs)	Amount payable by Corporate surveyor and loss assessor (Rs.)
1	Fellowship	10000/-	25000/-
2	Associate	7500/-	20000/-
3	Licentiate	5000/-	15000/-

- In case of Corporate Surveyor as stated under Regulation 4(1) above, the fee payable shall be the fee applicable to the highest level of membership of any of its Director/ Partner.
- Whenever there is difference in the Membership Level of Corporate Surveyor (lower to higher), the difference in fee shall be payable to the Authority by the Corporate Surveyor.
- Grant of license is subject to fulfillment of requirements stated under Regulation 3 and 4 of IRDA Surveyor Regulations, 2000 as amended from time to time.
- Payment of fees through online payment -net banking in Surveyor licensing portal considered as one of the modes of payment.

(iv) Regulation 7 is substituted by the following:

(1) An application for renewal of surveyor license including online submission of application for renewal, shall reach the Authority at least thirty days before the expiry of the period of validity thereof,

- a) in FORM-IRDA-5-AF (for individuals)
 b) in FORM-IRDA-6-AF (for corporate surveyors) as given in the Schedule to these regulations, along with a renewal fee of two hundred rupees.

Provided that the Authority may, if it is satisfied that undue hardship would be caused otherwise, accept any application, within six months of its expiry on payment by the applicant of a penalty of seven hundred and fifty rupees.

Provided further that a licence not so renewed ceases to exist. However an application from such surveyor can be treated as fresh application and processed under Regulation 3, and such applicant shall be allotted Licentiate level of membership in the license issued by the Authority.

(2) The Authority may renew the license upon being satisfied that the applicant has complied with all the requirements as may be specified by the Authority from time to time, particularly those specified in Chapter II of the Regulations

Documents to be submitted (to be uploaded in soft form in the online licensing portal)

- I. *In case of Individual:*
- Application in Form- IRDA- 5AF duly completed in all respects.*
 - Copy of recent photo- 1*
 - Copy of PAN*
 - Copy of Proof of residence*
 - Proof of qualification*
 - No Objection Certificate from employer, if employed*
 - Work performance in Form -IRDA-12 (to be uploaded in soft form for previous 5 financial years)*
 - Affidavit as stated in FORM- IRDA-1AF (to be uploaded in soft form at the time of submission of application through online)*
 - Copy of membership certificate issued by the institute.*
 - Self-addressed envelope of 4.5"x10" with Rs.40 postage stamp*
 - Demand draft, in case fee is paid by DD*
 - Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT*
 - Any other document/information that may be required by the Authority from time to time (Copies of documents sl. no c to i shall be notarized)*
- II. *In case of corporate surveyors :*
- Application in Form- IRDA- 6AF duly completed in all respects.*
 - Copy of one recent photo of directors/partners*
 - Copy of Surveyor license of directors/partners and their institute's membership details*
 - Copy of certificate of incorporation issued by ROC in case of company*
 - Copy of Partnership deed in case of a firm duly signed by all the partners*
 - Copy of Memorandum and Articles of association of the company*
 - Copy of Form no 32 filed with ROC*
 - Copy of Form no 18 filed with ROC*
 - Copy of Form 4 filed with ROC*
 - Copy of TAN*
 - Proof of qualification of directors/partners*
 - Affidavit as stated in FORM- IRDA-3AF (to be uploaded in soft form at the time of submission of application through online)*
 - Self-addressed envelope of 4.5"x10" with Rs.40 postage stamp*
 - Work Performance of the company /firm (to be uploaded in soft form for previous 5 financial years)*
 - Demand draft, in case fee is paid by DD*
 - Details of fee payment by RTGS/NEFT, if paid through RTGS/NEFT*
 - Any other document/information that may be required by the Authority from time to time (Copies of documents sl. no c to l shall be notarized)*
- (3) *The Authority on being satisfied that the applicant is eligible for renewal of license, shall renew the same*
- in Form -IRDA- 7-LF in case of individuals including sole proprietor*
 - in Form -IRDA-8-LF in case of corporate surveyor*
- in the format given in the schedule to these regulations. A license so renewed shall be valid for five years from the date of renewal, unless cancelled earlier.*
- (4) *The application for renewal of license shall be processed taking into account the eligibility criteria, existing, including those set out under Regulation 3A, at the time of receipt of such application.*
- (v) *Regulation 8 is substituted by the following:*
- Procedure where application for grant of license is rejected:*
- the application for grant of license can be rejected on the following grounds:*
 - does not conform with or the applicant fails to comply with the provisions of the Act and these regulations.*
 - if the Authority is of the opinion that the grant of license is not in the interest of the policy holders.*

Provided that before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

- (2) *Where the application for grant of license is rejected a refund of not more than 60% of the fee received shall be made to the applicant.*
- (3) *The rejection of application as stated under (1) above, shall be communicated to the applicant within thirty days of such rejection, stating the grounds for rejection thereof.*

Procedure where application for renewal of license is refused:

- (1) *The Authority may refuse the application for renewal of license to a surveyor and loss assessor on any of the following grounds, if the applicant:*
 - (i) *makes a statement which is false in material particulars with regard to the eligibility for obtaining license*
 - (ii) *if the applicant suffers from any of the disqualifications provided under sub-section (4) of section 42 of the Act, read with clause D of sub-section (1) of section 64UM of the Act.*

Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity, to the person concerned, of being heard, before such refusal.

- (2) *The refusal of license referred to in sub-regulation (4) shall take effect from the date of such refusal and no surveyor and loss assessor shall carry out any survey and loss assessment work thereafter, including the jobs on hand. All such pending jobs shall be returned by him/ it to the insurer or the insured, as the case may be.*
- (3) *A surveyor whose application for renewal of license is refused for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of three years from the date of such refusal, and, such an application shall be treated as an application for grant of fresh license, and accordingly the applicant shall satisfy all the requirements stated under Regulation 3 or Regulation 4 as the case may be.*

(vi) Regulation 9 is shifted and inserted as Regulation 20A, 20B & 20C.

4. CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF SURVEYORS AND LOSS ASSESSORS COMMITTEE

- (i). Regulation 11(2)(iii) is substituted by the following:

one representative of Insurers from Public sector and a representative of insurer from Private sector

- (ii) New Regulation 12A inserted as follows:

Appointment of Surveyors and Loss Assessors

- (1) *No person or a firm or a company shall act as a surveyor and loss assessor without being licensed under Regulation 3 or Regulation 4 of the IDRA Surveyor Regulations as the case may be.*
- (2) *Surveyors and loss assessors shall be appointed either by insurers or insured to assess loss under a policy of insurance in respect of general insurance business; above rupees twenty thousand.*
- (3) *Such appointment of a surveyor for assessment of loss shall be made within 72 hours from the time the occurrence of loss was known to the insured. Notice of such appointment shall be sent in writing to the insurer or insured as the case may be and shall form part of the claims settlement process.*
- (4) *A surveyor and loss assessor shall assess losses of only those departments specified in his/her or its license.*
- (5) *In case of any dispute/dissatisfaction, in the assessment of loss by surveyor appointed by the insurer, the insured can record his dissatisfaction, and then may appoint the appropriate surveyor to assess the loss reported under a policy of general insurance, in which case the fee shall be paid by the Insured.*
- (6) *Dispute, if any, between the insurer and insured, in quantum of loss assessed may be referred to Arbitration.*

5. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

(i) *Sub-Regulation 3 of Regulation 13 is substituted by the following:*

"A surveyor or loss assessor whether appointed by insurer or insured, shall submit his report to the insurer as expeditiously as possible, but not later than 30 days of his appointment, with a copy of the report to the insured giving his comments on the insured's consent or otherwise on the assessment of loss. Where, in special circumstances of the case, either due to its special and complicated nature, the surveyor shall under intimation to the insured, seek an extension, in any case not exceeding six months from the insurer for submission of his report.

If an insurer, on the receipt of a survey report, finds that it is incomplete in any respect, he shall require the surveyor under intimation to the insured, to furnish an additional report on such incomplete issues as may be required by the insurer. Such a request may be made by the insurer within 15 days of the receipt of the original survey report.

Provided that the facility of calling for an additional report by the insurer shall not be resorted to more than once in the case of a claim.

The surveyor on receipt of this communication shall furnish an additional report within three weeks of the date of receipt of communication from the insurer".

6. CATEGORISATION OF SURVEYORS

(i) *Regulation 14 is substituted by the following:*

A surveyor and loss assessor shall be categorized on the basis of level of membership allotted by the Institute as stated under Regulation 14. Accordingly licensed surveyor and loss assessor shall be allotted membership by the Institute. The three levels of membership in the Institute viz. Licentiate, Associate and Fellow, as defined in the Articles of the Institute.

a. Every surveyor and loss assessor, whether a company or firm or an individual, shall be eligible to carry on the work as a surveyor or loss assessor, as per the level of membership allotted by the institute and specified in the licence.

(ii) *After Regulation 14, a new Regulation 14(A) inserted and is as follows:*

Functions of the Institute

(1) *The Institute shall grant appropriate membership to person eligible, within 15 days from the date of receipt of application for membership, for grant of a valid license to be issued by the Authority to act as a surveyor and loss assessor based on the following criteria, including any other criteria as may be specified by the Authority from time to time:*

i) Membership

Licentiate Member: Any person holding a valid license issued by an Authority to act as surveyor and loss assessor, and fulfills other criteria set out in Regulation 14A(1) (i).

Associate member: Any Licentiate Member holding valid license continuously for a period not less than 8 years and fulfills other criteria set out in Regulation 14A(1) (ii).

Fellow Member:

Any Associate Member holding valid license continuously for a period not less than 8 years and fulfills other criteria set out in Regulation 14 A(1) (ii)

ii) Training, examination, seminars and workshops:

a. The institute shall conduct training, examination, seminars and workshops to all the members and every member, in order to upgrade his/her level of membership, shall undergo such training, examinations, seminars and workshops as specified below:

1227 47/13-43

b. In addition to the period of practical training that an application seeking a license to act as a surveyor and loss assessor is required to undergo training as prescribed in Regulation 16, the Institute shall provide and every member shall undergo, such training commensurate to their level of membership, for the minimum period as specified below:

Licentiate - 100 hrs
Associate - 50 hrs
Fellow - 25 hrs

c. The Institute or any other institution authorized by the Authority, shall conduct seminars and workshop and every member shall attend a minimum number of such seminars and workshops as specified below:

Licentiate- 5
Associate- 8
Fellow- 10

Provided further that all existing licensed surveyors and loss assessors shall become the members of the institute within 6 months from the date of these regulations and apply to IRDA for grant of modified license indicating the level of membership to be allotted by the institute.

Provided further that such members shall be required to comply with the requirements on training, evaluation, seminars and workshops for upgrading their existing levels of membership within the time limit as may be prescribed by the Authority from time to time.

(2) The Authority may from time to time issue such guidelines, directions or such other communication for the efficient conduct of the affairs of the Institute.

7. CODE OF CONDUCT

(i) Sub Regulation 11 of Regulation 15 substituted as under:

maintain a register of survey work, containing the relevant information, such as, details of insured, insurer, policy number, date of allocation of survey work, date of submission of survey report, amount of claims assessed, such fee details and shall keep important records of the survey reports, photographs and other important documents for a period of three years and furnish the same and such other specified returns, as and when called for by the Authority or by any investigating authority or the insurer. However, in case of litigation involving above information/records/documents/photographs etc, the same shall be maintained till the conclusion of the litigation.

(i) New Sub regulation nos 15,16,17& 18 inserted under Regulation 15 as follows:

Every surveyor and loss assessor shall-

- Comply with all the provisions of the Act, the IRDA Act, the rules and regulations made there under and the orders, directions and guidelines issued by the Authority from time to time.
- shall undertake survey jobs in a company /firm only as an employee/director/partner.
- Neither act as a consultant of the Insured nor involve in settlement of loss, particularly those losses which are being assessed by him as an appointed surveyor
- Comply with the provisions of AOA, regulations and Code of Ethics framed by the Institute from time to time.

8. Chapter VII- Practical Training renamed as "TRAINEE APPLICANTS"

(i) Regulation 16 is substituted by the following:

Trainee Applicants

16 (1) A student member seeking a license to act as a surveyor and loss assessor shall apply and enroll with Authority as Trainee in FORM-IRDA-13 as given in the Schedule to these regulations, after having obtained the willingness to impart training from his trainer in FORM-IRDA-14 as given in the schedule to these regulations, and shall undergo a period of practical training of not less than twelve months with a licensed surveyor and loss assessor as specified below:

(1A) During the period of training, every applicant who is a student member of the Institute and enrolled as trainee shall comply with the code of conduct and code of ethics prescribed by the Institute and duly approved by IRDA and shall have include the following:

- i) Behave ethically and with integrity. Integrity implies not merely honesty but fair dealings and truthfulness.
- ii) Not accept/perform/undertake any survey works and not issue any survey report without holding a valid license issued by the Authority to act as surveyor and loss assessor
- iii) Maintain at all times, proper record of training details duly certified by the trainer surveyor, and
- iv) Disclose all information relating to any proceedings initiated or investigation pending or carried out/against him/her or it by any agency and details of the results thereof
- v) File within 15 days, any change in information already submitted to the authority.
- vi) Any other requirement that may be specified by the Institute from time to time.

(2) The surveyor under whom an trainee will be trained shall belong to Associate or Fellow member of the Institute

(3) The trainee shall maintain a quarterly record of training received in FORM-IRDA-15 during the period and shall get it certified by the surveyor and loss assessor under whom he has trained and the certificate in FORM-IRDA-16 shall be attached to the application for seeking grant of a license under regulation 3;

(3)a. The requirement to undergo practical training for a period not less than 12 months as stated under Regulation 16(1) shall not be applicable to those student members who have over 15 years of experience in areas relating to risk management and settlement of claims in relevant field in General Insurance Industry.

The licence to be granted to an applicant to act as a surveyor and loss assessor shall be in that particular area for which he has been trained;

(4) If a surveyor and loss assessor already licensed by the Authority seeks to obtain a similar licence for acting as a surveyor in a category other than for which he is licensed, he shall undergo a period of training not less than six months under a surveyor and loss assessor holding either a Fellow or Associate member licence issued by the Authority to act in that particular area.

(5) Those who have already enrolled as trainees with IRDA shall become the student member of the Institute in addition to complying with the criteria set out in Regulation 3 for grant of license to act as surveyor and loss assessor.

(ii) In Regulation 17 the word "Authority" shall be replaced by "Institute" after the words "the examination may be conducted either by the...". The regulation shall read as under:

The Authority may also prescribe the passing by an applicant of an examination on the successful completion of the training prescribed above for the grant of a license under Regulation 3. The examination may be conducted either by the Institute or by an institution authorized by IRDA.

9. MISCELLANEOUS

Register of Licensed Insurance Surveyors and Loss Assessors

(i) In Sub Regulation 1 of Regulation 18 the word "Authority" shall be replaced by "Institute"

(ii) In sub regulation 1 (vi) of regulation 18 the word "Categorization" shall be replaced by "Level of Membership in the Institute"

(iii) In sub regulation 3 of regulation 18 the word "shall" be replaced by "may". The regulation shall read as under:

The Authority may cause the publication of the relevant particulars entered in the register, as may be considered appropriate by it, at such intervals and in such manner, as may be deemed fit.

Submission of returns by Surveyor and Loss Assessor :-

(ii) Regulation 19 substituted as under:

Every licensed surveyor and loss assessor shall:-

- (a) furnish such of the document, statement, account, return or report, as and when required by the Authority, and comply with such directions, as may be issued by the Authority in this behalf, from time to time; and
- (b) submit an annual statement in FORM-IRDA-12 given in the Schedule to these regulations.

(c) Every insurer shall submit to the Authority the following:

- i) Quarterly report on misconduct of licensed surveyors, including, action, if any taken, on the employee surveyors under the employment rules
- ii) File with the Authority, annually, a copy of the policy formulated by the company, on the methodology followed for appointment of surveyors, utilization of surveyors and allotment of survey jobs to licensed surveyors.
- iii) File with Authority, changes if any made in the policy submitted as stated under (d), within 15 days of such change with reasons thereof.

iii) Inspection

Sub Regulation 3 of Regulation 20 is being substituted as follows:

A surveyor and loss assessor shall provide the information demanded by the inspecting authority for the purpose of carrying out inspection/investigation and extend all possible co-operations to facilitate the conduct of its work.

(iv) Action in case of Default – Suspension of License

Regulation 9 on Suspension of License shifted and substituted as 20A as follows:

- (1) The Authority shall suspend a license already granted, to a surveyor and loss assessor (individual/corporate), if he/it:
- i. Fails to discharge the duties and responsibilities in a satisfactory and professional manner; or
 - ii. Violates the code of conduct specified in these regulations or
 - iii. Makes a statement which is false in material particulars with regard to eligibility for obtaining license or renewal thereof or in any of the activities transacted by him or them or the matters connected therewith as a surveyor and loss assessor or has after the issue or renewal of such license, acquired any of the disqualifications provided under sub-section (4) of section 42 of the Act, read with section 42(4) of the Act.
 - iv. Has contravened any of the provisions of the Act, or IRDA Act, 1999, or any rules or regulations made under those Acts, or any order or direction issued by the Authority
 - v. Has been negligent in discharge of his obligations
 - vi. Has been sentenced to a term of imprisonment by any court of law

Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity to the person concerned, of being heard before such suspension.

- 2) The Authority may also suspend the license if it is of the opinion that the continuation of such license would be prejudicial to the interest of the policy holders, in which case the opportunity of personal hearing may not be provided
- 3) The Authority may in addition to cancellation of the individual license of director/partner of corporate surveyor may also suspend the license of a corporate surveyor for any act committed as stated under 1 and 2 above, if the same is committed by any one of its partner/director.
- 4) The suspension of license shall be for such period as may be indicated in the order and shall take effect from the date of the order of suspension until revoked.
- 5) During the period of suspension, the holder of such a license shall not carry out any survey and loss assessment work including the jobs on hand and shall return all such pending jobs to the insurer or the insured, as the case may be.
- 6) A surveyor whose license has been suspended for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of three years from the date of such cancellation, and, such an application shall be treated as an application for grant of fresh license, and accordingly the applicant shall satisfy all the requirements stated under Regulation 3 or Regulation 4 as the case may be.

Cancellation of license

(v) **A New Regulation 20 B inserted as follows:**

1. Where it is found that a surveyor and loss assessor suffers from any of the disqualifications mentioned in section 42D read with section 42(4) of the Act or has knowingly contravened any provisions of the Act or the IRDA Act 1999, or the rules of regulations made under those Acts or any order of directions or instruction issued by the Authority,

the Authority may, cancel his license, with effect from such date as may be specified by it.

Provided that the Authority shall give a reasonable opportunity to the person concerned, of being heard, before cancellation.

Provided further that the powers conferred on the Authority in this sub-regulation are without prejudice to the powers conferred on it by sub-section (7) of section 64UM of the Act.

2. The Authority may also cancel the license if it is of the opinion that the continuation of such license would be prejudicial to the interest of the policyholders.
3. A surveyor whose license has been cancelled for any reason, may submit an application for issuance of license, after the expiry of three years from the date of such cancellation, and, such an application shall be treated as an application for grant of fresh license, and accordingly the applicant shall satisfy all the requirements stated under Regulation 3 or Regulation 4 as the case may be.

Procedure for suspension and cancellation of license

(vi) **A New regulation as 20 C inserted as follows:**

1. A licensed surveyor and loss assessor whose license is proposed to be suspended or cancelled by the Authority may be granted an opportunity of hearing before suspending or cancelling the license.

Provided, that the Authority may not follow this procedure if the continued employment of the licensed surveyor and loss assessor is considered to be prejudicial to the interest of policyholders.

2. Upon receipt of the order of suspension, the licensed surveyor and loss assessor may file a representation before the Authority for revocation of suspension. The Authority may designate an officer, who upon considering the representation shall, pass such an order or orders as he/she deems fit which shall be communicated to the suspended surveyor and loss assessor.
3. If, on the basis of the order of the designated person, the Authority revokes the order of suspension and restores the license of the surveyor and loss assessor, it shall indicate the date from which the restoration will take place.
4. The license granted by the Authority may be cancelled by the Authority where the surveyor and loss assessor does not represent within a period of 45 days from the date of order of suspension.
5. Any order of suspension or revocation of the order thereof shall be intimated to the insurer.
6. Authority shall notify only cancellations in the Official gazette.

1227 50713-14

Schedule

FORM - IRDA - 1 - AF
[See Regulation 3(1)]

APPLICATION FOR A LICENCE TO ACT AS SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR (INDIVIDUAL)

Checklist

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the Student Membership Certificate issued by the Institute
- 2) To make online payment of fees (as mentioned in the Regulations) through " NET BANKING /DEMAND DRAFT/NEFT/RTGS" during application submission.
- 3) Have scanned copies ready of Degree/ Diploma attested by Notary/ Magistrate.
- 4) To attach scanned copy of affidavit duly Notarized against S.No. 2 of the application form.
- 5) To enclose attested and scanned documents in response to Q. No.'s 4, 8, 9, 10 & 11. The answers to which are a must.
- 6) To attach a recent scanned copy of passport size photograph along with the application form.
- 7) Send physical copies of application, uploaded documents and self addressed envelope of 4.5"X10 with Rs.40 postage stamp to IRDA. These are mandatory for grant of license.

Notes: Read with Regulation 3

1. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938, which provides that whoever in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder, fails to furnish the same shall be liable to a penalty not exceeding Rs. 5 lakhs for each such failure and punishable with fine.
2. An individual can apply for only one licence, which will entitle him to act as a Surveyor and Loss Assessor for any insurer.
3. Any correction or alteration made in answer to the questions in the application should be initiated by the applicant.
4. An applicant must be atleast 18 (eighteen) years of age on the date of submission of the application. In the case of any applicant declaring him at is 18 years the exact date of birth of falling in the year or birth should be stated against item 4 of the application. If require the applicant shall furnish proof age.
5. A notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
6. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.
7. As the licence is issued bilingual viz. Hindi and English, the applicant may like to indicate how he spells his name in Hindi. It is, therefore, advised that the name and address may be written.

1. I student member of the Institute, request that a license to act as a Surveyor and Loss Assessor may be granted to me for the following class/department

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Please tick								

Student Membership Details... (to upload soft copy of the Membership Certificate and ID card issued by the Institute)

2. I hereby declare that

- I have not been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
- I have not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or of abetment or attempt to commit any such offence by a Court of Competent Jurisdiction.
- I have not been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud/dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company.
- I shall not violate the code of conduct specified by the regulations made by the Authority.
- I possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulations made by the Authority.
- I have passed such examination as specified by the regulations made by the Authority.

3. I also declare that the particulars given below are true:

a. Full Name (Shri/Smt/Kum)[in English & Hindi]

b. Father/Husband's Name

c. Present address [in English & Hindi]

Address1

Address2

Address3

City/Town/Village

District

State

Country

Pincode

d. Permanent address Address1

Address2

Address3

City/Town/Village

District

State

Country

Pincode

4. Qualification

a) Academic / Professional

b) Insurance

- c) Training Attended
(Nature - Duration for all of the above)

5. Communication

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

6. Date of Birth

7. Sole Proprietor (Name if applicable)

8. Practical Training Details (Please enclose the Training Completion Certificate obtained from the surveyor/ survey firm)

Name of the Surveyor/Surveyors' Firm	Departments allocated to surveyors/ Surveyor Firm	Level of Membership allotted to the Surveyor/ Survey Firm	Period of training undergone (Please mention dates)	Name of person(s) under whom training undertaken	Areas Covered	Result

9. Experience Details:

- a) Whether the applicant was employed with any insurance company:
b) Job Experience in previous employment other than insurance surveyor, if any:
c) Details of other business/ employment:

10. Occupation status:

Student Professional Business Employee Service Housewife Others

11. Employment details:(In chronological order of employment).

- a) Whether applicant is currently employed? Yes/No
b) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

- c) Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

12. Have you ever held a license to act as a surveyor and loss assessor?

If Yes, please provide details:

License No.
 Date Of Issue
 Expiry Date

13. Fee Payment: NET BANKING/DEMAND DRAFT/NEFT/RTGS

Fee applicable for all Surveyor categories

Category of surveyor and loss assessor based on the membership allotted by the Institute	Amount payable by individuals surveyor and Loss Assessor
<i>Fellow member</i>	10000
<i>Associate Member</i>	7500
<i>Licentiate Member</i>	5000

14. Declaration:

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

FORM - IRDA - 2 LF

[See Regulation 3(3)]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

LICENCE NO.

LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR UNDER THE INSURANCE ACT, 1938

(Individual)

Mr./ Mrs./ Miss.....

Address House No.....Street.....

Town/ District State.....Pincode.....

* working as sole proprietor of having Membership no of the Institute and having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorised under Section 64-UM of the Insurance Act, 1938 to act as surveyor and loss assessor for a period of five years from

This Licence will expire on DD-MM-YYYY

Name is allocated the following departments and category:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>Level of Membership</i>								

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Signature of License Holder.....

.....
 Designated Person
 Insurance Regulatory and Development Authority

Notes:

1227 5A/13-15

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initialed by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 3 - AF
[See Regulation 4]

APPLICATION FROM A FIRM OR COMPANY FOR A LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR

Checklist

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the Membership certificate issued by the Institute to directors/partners.
- 2) To make online payment of fees (as mentioned in the regulations) through "Net Banking" during application submission.
- 3) Have scanned copies ready of Degree/ Diploma /Technical qualifications attested by Notary/ Magistrate only.
- 4) To attach scanned copy of affidavit duly Notarized against S.No. 2 of the application form.
- 5) Attach attested and scanned copies of documents wherever required.
- 6) Send Self addressed envelop 4.5"X10" with Rs.40 postage stamp to IRDA.

Notes: Read with Regulation 4

1. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938, which provides that whoever in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made there under, fails to furnish the same, shall be liable to a penalty not exceeding Rs 5 lakhs for each such failure and punishable with fine.
2. A firm or company including group companies can apply for only one licence which will entitle it to act as a surveyor and loss assessor.
3. Any correction or alteration made in the application should be initialed by the applicant.
4. *Name of the company should be suffixed by "Insurance Surveyor and Loss Assessor".
5. A licensed SLA cannot act/function as a Director/Partner of more than one company/firm.
6. All directors shall possess surveyor license which shall be duly licensed and be a member of the Institute.
7. The main object of the company/firm shall be to undertake survey, loss assessments and related jobs.
8. Any changes in license details should be duly reported within 15 days to IRDA for grant of modified license. Affidavit should be provided on behalf of the firm.
9. The fee to be applied depends on the highest level of membership of any of the Director/Partner of the company/Firm.
10. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of licenses in the form of a declaration as contained against SI.No.6 of the application form.
11. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.

12. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.

- It is requested that a license to act as a Surveyor and Loss Assessor may be granted to our Firm/ Company for the following departments and level of membership allotted to our directors/partners under their individual surveyor license:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Name of director/partners, their individual License-Details & level of Membership								

- It is hereby declared that-
 - No director/ partner of our Company/ Firm has been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
 - No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust, or cheating or forgery, or an abetment of or attempt to commit any such offence by a Court of competent jurisdiction.
 - No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceedings relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company or in the course of an investigation of the affairs of an insurers.
 - No director/ partner of our Company/ Firm is a minor.
 - No director/ partner of our Company/ Firm shall violate the code of conduct specified by the regulations made by the Authority.
 - All director(s)/ partner(s) of our Company/ Firm possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulations made by the Authority.
 - All director(s)/ partner(s) persons of our Company/ Firm have passed such examination as specified by the regulations made by the Authority.

(The above declaration shall pre-populate in the online licensing process)

- It is also declared that the particulars given below are true.

- Name of Firm/Company (In English & Hindi)
- Address of Company/Firm (In English & Hindi)
(Registered/Corporate Office)
- Details of Branch Office/s (If any)
.....
.....
- Details of Employees

Licensed surveyors employed in the firm License no & Level of membership	Designation	Employment Period		SLA No.	Date of Expiry
		From Date	To Date		

It is also declared that the name of all the director/s & partner(s) with their addresses and their date of birth submitted:

- have been in practice as a surveyor/ loss assessor on the 31st May, 1970 or;
- hold a degree of a recognized university in any branch of engineering, or
- be a fellow or associate member of the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India or
- possess actuarial qualifications or hold a degree or diploma of any Indian University or Institute in relation to insurance, or
- hold a diploma in insurance granted or recognized by the Government, or
- possess any of the technical qualifications mentioned in Rule 56A

(N.B. 1: In the case of each of the partners/directors claiming to come under item (a) above and not being eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration as given in the Insurance Rules, 1939 and sworn before a Magistrate or Notary Public should be forwarded and in the case of each of the partners/Directors claiming to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/ certificates with one of the attested copy each, or copies of the original diplomas/ certificates duly attested by a Magistrate or Notary Public should be enclosed. Where original diplomas/ certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals)

5. Details of Directors (details to capture multiple directors is captured)

SLA No.

Membership details of Institute:

Membership/ ID card No.

Date of Issue of ID card.

Level of membership allotted

Date of Expiry

Name

Address

Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Last Employment details

Name of Employer	Nature of Organization	Nature of Work	Period of employment	
			From Date	To Date
	(Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	(Insurance survey related, Others)		

N.B. : Where a director/ partner does not already hold an individual license then an application (in FORM NO. 1-AP - Application for New License) from such a person should also submitted.)

- Did the Firm/Company ever hold a license?
If Yes, provide details below and upload copy of old license

SLA No.

Date of Issue

Date of expiry

Reason for Non renewal

- Fee Payment: Net Banking /Demand Draft/NEFT/RTGS:

Fee applicable for all Surveyor categories:

Highest level of membership of any of the Director/Partner of the company/Firm	Amount payable by individuals surveyor and Loss Assessor
Fellow Member	25000
Associate Member	20000
Licentiate Member	15000

• Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

FORM - IRDA - 4 LF

[See Regulation 4]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

LICENCE NO.

LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR UNDER THE INSURANCE ACT, 1938
(CORPORATE)

Name of the Company/Firm:

Registered Address:

Having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorized under Section 64-UM of the Insurance Act, 1938 to act as a surveyor/loss assessor for five years from DD-MM-YYYY.

This License will expire on DD-MM-YYYY.

The following are the details of Directors / Partners along with departments and level of Membership allotted along with their individual license number:-

Name of Director/Partner	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	CROP INSURANCE	LOP
License and Membership details of directors/partners								

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Name Of the directors/Partners

1227 & 718-16



Photo
Director 1

Name



Photo
Director 2

Name



Photo
Director 3

Name

.....
Seal of the Company/Firm

.....
Designated Person
Insurance Regulatory and Development Authority

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initiated by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 5 AF
[See Regulation 7(1)]

APPLICATION FOR RENEWAL OF A LICENCE TO ACT AS SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR (INDIVIDUAL)

Checklist

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the membership certificate issued by the Institute
- 2) To submit FORM 12 (annually) online before applying for Renewal to make online payment of fees (as mentioned in the regulations) through "Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS" during application submission.
- 3) To attach scanned copy of previous license.
- 4) To attach scanned copies of qualifications duly attested by notary.

- 5) to attach scanned copy of affidavit duly notarised against S.No. 6 of the application form.
- 6) To send Self addressed envelope 4.5" X 10" with Rs.40 postage stamp to IRDA to send hard copy of the renewed license
- 7) To submit FORM 12 (annually) online before applying for Renewal.
- 8) To attach a recent scanned copy of passport size photograph along with the application form.

Notes: Read with Regulation 7

1. All licensed surveyors shall apply online 30 days before the expiry of the license.
2. Any correction or alteration made in answer to the questions in the application should be initiated by the applicant.
3. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of licenses in the form of a declaration as contained against S.No. of 6 of the application form.
4. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
5. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change for *grant of modified license by the authority*.

I request that the below license may be renewed for a further period of five years.

1. Current License Details

SLA No. (mandatory)

License Effective Date

Date of Expiry

Membership details of Institute:

Membership/ID card No

Date of Issue of ID card

Level of membership allotted

2. Name of Surveyor and Loss Assessor

3. Permanent Address

4. Present Address

(If change in present address, please upload proof doc)

5. Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	CROP INSURANCE	LOP
Level of Membership								

6. I declare that since the date of my last application for license

- (i) I have not been found to be unsound mind by a Court of competent jurisdiction.
- (ii) I have not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery of an abetment of or attempt to commit any such Offence by a Court of Competent jurisdiction, and
- (iii) I have not been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud/dishonesty or made any misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to a policy of insurance or the winding up of any investigation of the affairs of an insurer, and

- (iv) My license has not been cancelled at any time by the Controller of Insurance/ Insurance Regulatory and Development Authority.
- (v) I declare that I continue to hold the qualification on the basis of which my licence mentioned above was issued.
- (vi) An undertaking on performance report showing survey work done by me during the last 5 years of the validity period indicating total number of survey work, and amount involved in each category of cases, year-wise and company-wise is attached.
- (vii) In addition to surveyor's work, I am also engaged on other occupations, the details of which are given below:
Or
I am not engaged in any other occupation.
- (viii) I have not been disqualified for any of the provisions neither attracted the disqualification stated in section 42D of the Insurance Act, 1938.

Occupation status:

Student Professional Business Employee Service Housewife Others

Employment details:

d) Whether applicant is currently employed? Yes/No

e) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization (Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	Nature of Work (Insurance survey related, Others)	Period of employment	
			From Date	To Date

f) Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

7. Whether the applicant has been in practice as a Surveyor and Loss Assessor on the 31st May, 1970?
If answer is in YES and the applicant does not possess any of the qualifications stated in Insurance Act, 1938 and rules and regulations made thereunder the applicant must make a declaration as given in the Insurance Rules, 1939 and duly sworn before a Magistrate or a Notary Public.
8. Fee Payment; NET BANKING/DEMAN DRAFT/NEFT/RTGS
A fee of Rs. 200 should be paid as Renewal fee.
In case license is submitted after expiry upto a maximum period of six months, the license fee will be Rs. 200 with a penalty of Rs. 750 (along with photocopy of qualification duly attested by notary).
9. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Applicant.....

Date:

Place:

FORM - IRDA - 6 - AF
[See Regulation 7(1)]

APPLICATION FROM A FIRM OR COMPANY FOR RENEWAL OF A LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND
LOSS ASSESSOR

Checklist

Please ensure the following:

- 1) To enclose a copy of the membership certificate issued by the Institute to the directors/partners
- 2) To submit FORM 12 (annually) online before applying for Renewal to make online payment of fees (as mentioned in the regulations) through Net Banking during application submission.
- 3) Have scanned copies ready of Degree/ Diploma/Technical qualification attested by Notary/ Magistrate.
- 4) To attach scanned copy of affidavit duly notarized against S.No.3 of the application form.
- 5) To send Self-addressed envelope of 4.5" X10" with Rs.40. postage stamp to IRDA to send a hard copy of the License Certificate.

Notes:

1. The application should be submitted online atleast 30 days before the expiry of the license with a renewal fee of Rs.200 may be paid online through Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS.
2. In case license is submitted after expiry upto a maximum period of six months the license fee will be Rs.200/-with a penalty of Rs.750/-through Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS.
3. The attention of the applicant is drawn to Section 102 of the Insurance Act 1938, which provides that whoever in any document required for the purpose of any of the provisions of the Act, rules or regulations made there under, fails to furnish the same, shall be liable to a penalty not exceeding Rs 5 lakhs for each such failure and punishable with fine.
4. A firm or company including group companies can apply for only one licence which will entitle it to act as a surveyor and loss assessor.
5. Any correction or alteration made in the application should be initialed by the applicant.
6. Name of the company should be suffixed by "Insurance Surveyor and Loss Assessor".
7. A licensed SLA cannot act/function as a Director/Partner of more than one company/firm.
8. All directors shall possess surveyor license which shall be duly licensed and categorized.
9. The main object of the company/firm shall be to undertake survey, loss assessments and related jobs.
10. Any changes in license details should be duly reported within 15 days to IRDA for grant of modified license by the Authority. Affidavit should be provided on behalf of the firm.
11. An affidavit of Rs. 10/- duly notarized on non-judicial stamp paper is required to be scanned and attached for renewal of licences in the form of a declaration as contained against S.No. of 6 of the application form.
12. An email notification will be sent to the applicant on successful submission of the application form.
13. Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change.

1. Current Corporate License Details

1227 9/13-17

SLA no.
 Date of Expiry
 Name of the Firm/Company
 Address of Company/Firm
 Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>License details of directors/partners and level of membership</i>								

2. It is requested that the above license may be renewed for a further period of five years for the following classes of insurance and level of membership allotted to directors/partners:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>License details of directors/partners and level of membership</i>								

3. It is hereby declared that-

- (i) No director/ partner of our Company/ Firm has been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction;
- (ii) No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust, or cheating or forgery, or an abetment of or attempt to commit any such offence by a Court of competent jurisdiction;
- (iii) No director/ partner of our Company/ Firm has been found guilty of or to have knowingly participated in or connived at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceedings relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company or in the course of an investigation of the affairs of an insurers; and
- (iv) No director/ partner of our Company/ Firm is a minor.
- (v) No director/ partner of our Company/ Firm shall violate the code of conduct specified by the regulations made by the Authority.
- (vi) All director(s)/ partner(s) of our Company/ Firm possess the requisite qualifications and practical training as specified by the regulations made by the Authority.
- (vii) All director(s)/ partner(s) of our Company/ Firm have passed such examination as specified by the regulations made by the Authority.

(The above declaration shall prepopulate in the online licensing process)

4. It is declared that each one of the Director(s) / partner(s) of the firm who was a partner/ Director when the above mentioned licence was issued and who is now a Director(s) / partner(s) continues to satisfy the requirements of clause (D) of subsection (1) of Section 64-UM of the Act.

It is also declared that all the director(s)/partner(s) whose address, date of birth have been submitted

- a) have been in practice as surveyor and loss assessor on 26th October, 1968, or
- b) hold a degree of a recognized university in any branch of engineering, or
- c) be a fellow or a associate member of the Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India, or
- d) possess actuarial qualifications or holds a degree or diploma of any Indian University or Institute in relation to Insurance, or

- e) hold a diploma in insurance granted or recognized by the Government, or
 f) possess any of the technical qualifications mentioned in Rule 56-A.
 (The above declaration shall pre-populate in the online licensing process)

[N.B. 1. In the case of each of the director/partner who was not a partner/ Director on the date of last application for licence:—

- (i) where he claims to come under item (a) above, and is not eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration as given in the Insurance Rules, 1939 and sworn before a Magistrate or a Notary Public should be forwarded with this form; and
 where the claims to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/certificates with one of the attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate or Notary Public should be enclosed. Where original diplomas/certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals.

5. Details of Directors/Partners

a) *Name of the director/partner*

SLA no.

Date of Expiry

Membership details of Institute:

Membership ID card No

Date of Issue of ID card

Level of membership allotted

Name

Address

Departments allocated

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>License details and level of Membership</i>								

Note: Where a director/ partner does not already hold an individual license then an application (in FORM NO. 1-AF - Application for New License) from such a person should also be submitted.]

Last Employment details

Name of Employer	Nature of Organization (Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	Nature of Work (insurance survey related, Others)	Period of employment	
			From Date	To Date

6. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the applicant.....
 (Digital Signature)

Name of the Company/Firm:
 Corporate License No :

Seal of the Company/ Firm

Not Transferable
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
LICENCE NO.
RENEWAL OF LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR
UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 (INDIVIDUAL)

Mr./ Mrs./ Miss.....

Address

* working as sole proprietor of having Membership no of the Institute and having paid the specified fee and having made the necessary declaration, his/her Licence No. dated to act as a surveyor and loss assessor is hereby renewed upto day of 20

Name are allocated the following departments and category:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Signature of License Holder.....

.....
Designated Person
Insurance Regulatory and Development Authority

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initialed by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 8 LF

[See Regulation 7(3)]

Not Transferable

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
LICENCE NO.
RENEWAL OF LICENCE TO ACT AS A SURVEYOR AND LOSS ASSESSOR
UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 (CORPORATE)

Name :

Address:

having paid the specified fee and having made the necessary declaration is hereby authorized under Section 64-UM of the Insurance Act, 1938 to act as a surveyor/loss assessor for five years from DD-MM-YYYY.

This License will expire on DD-MM-YYYY.

The Directors / Partners are allocated the following departments and categories:-

Sl No.	Name of Director	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
<i>License and Membership details of director</i>									

Hyderabad, dated the DD-MM-YYYY

Signature of the license Holder.....

Seal of the Firm/Company.....

.....
Designated Person
Insurance Regulatory and Development Authority

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.
2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initiated by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 9
[See Regulation 10(1)]

APPLICATION FOR DUPLICATE LICENSE

I regret to inform you that my/ our licence no. expiry date DD-MM-YYYY has been

Lost Destroyed Mutilated

122795/13-18

by the following circumstances.....

The fees of Rs. 5/- is also paid below for issue of duplicate license. (Fee Payment: Net Banking/Demand Draft/NEFT/RTGS)
 I/ We, therefore request the Authority to kindly issue a duplicate licence in light of the circumstances explained above.

Declaration

I/We, solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Incase the original license is traced, I/We assure you that the same shall be returned to the authority.

.....
 Signature of the Applicant

Date:
 Place:

FORM - IRDA - 10- LF
 [See Regulation 10(3)]
 NOT TRANSFERABLE
 License No.....
 DUPLICATE LICENSE

Name Address: House No.
 Street..... Town/ District State Pincode..... having
 paid Rs. Five only and having made the necessary declaration of having lost/destroyed/mutilated the license is hereby
 authorized under Section 64-UM of the Insurance Act, 1938 to continue to act as surveyor and loss assessor for the balance
 period till expiry of the license.

This Licence will expire on DD-MM-YYYY

The surveyor and loss assessor will continue to work for the following departments:

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Category								

Hyderabad, dated the 20.....

Signature of the license Holder.....

Seal of the Firm/Company.....

.....
 Designated Person
 Insurance Regulatory and Development Authority

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Notes:

1. If it is desired to renew this license for a further period, the procedure stated in the Regulations shall be followed, and an application for renewal should reach the Authority at least thirty days before the license expires.

2. This license authorizes the license holder to act as a surveyor and loss assessor for any registered insurer and therefore, no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the license.
3. No correction in this license shall be valid unless initialed by the Designated Person of the Authority.

FORM - IRDA - 12
[See Regulation 19(b)]

FORMAT FOR ANNUAL SUBMISSION OF RETURN TO THE AUTHORITY

1. Name of Surveyor

2. License Details

Current SLA No
Date of Expiry DD-MM-YYYY

MEMBERSHIP DETAILS OF INSTITUTE:

Membership/ ID card No
Date of Issue of ID card
Level of membership allotted

Qualifications acquired in the past 1 year (Upload docs for proof)

- a) Academic / Professional
- b) Insurance
- c) Training Attended

(Nature – Duration for all of the above)

3. No. of surveys done in last financial year and the name of insurers:

20 ____ 20 ____

Insurers	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP	Total
A									
B									
C									
D									
.....									

4. Quantum of losses assessed in last financial year:

20XX-20XX

Fire	No.	Marine cargo	No.	Marine Hull	No.	Engg	No.	Motor	No.	Misc	No.	Crop Insurance	No.	LOP	No.
>10 lacs		>1 lacs		>10 lacs		>2.5 lacs		>50,000		>1 lac				>10 lacs	
1-10 Lacs		25,000-1 lac		2.5-10 lacs		50,000-2.5 lacs		10,000-50,000		25,000-1 lac				1-10	

e) Insurance

f) Training Attended

(Nature – Duration for all of the above)

9. Occupation status:

Student Professional Business Employee Service Housewife others

10. Employment details:

g) Whether applicant is currently employed? Yes/No

h) If yes, provide details below and also attach scanned copy of NOC from employer

Name of Employer	Nature of Organization (Govt./Semi-govt/Private Firm, insurance company, surveyor firm, PSU, others)	Nature of Work (Insurance survey related, Others)	Period of employment	
			From Date	To Date

i) Details of any other business/profession carried out:

Name of Firm	Designation	Nature of Business

11. Options for departments, in which you wish to be trained and granted surveyors license

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
6. _____ 7. _____ 8. _____

12. Name of Trainer Surveyor:

SLA No.

Membership Details of the Institute:

Membership ID card No

Date of Issue of ID card

Level of membership allotted

Date of expiry

Dept	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Level of Membership								

Present Address

Communication details:

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

13. Declaration

I solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Applicant

Date:

Place:

1227 9/13-19

FORM -IRDA-14

FORMAT OF CERTIFICATE FROM TRAINER SURVEYOR GIVING ACCEPTANCE TO IMPART TRAINING (REG 16(1))

Important Instructions:

This form needs to be filled by trainer after receiving automated notification regarding enrollment of the trainee surveyor

I, _____ (name of Surveyor/ Surveyor Firm) bearer of Surveyor's Licence no. & Membership details _____ certify that Mr. / Ms. _____ is enrolled for training as a trainee surveyor in the following department/s:
 (i) _____ (ii) _____ (iii) _____ (iv) _____ (v) _____ (vi) _____
 (vii) _____ (viii) _____

I have verified the information pertaining to educational qualifications and certify that they are true and correct. I am a Member of the Institute and hold a valid surveyor license issued by the Insurance Regulatory And Development Authority for the departments I am imparting practical training.

I undertake to impart practical training to the best of my knowledge and ability and agree to supervise his/ her performance on a weekly basis, based on records to be maintained by the trainee and keep the Insurance Regulatory And Development Authority informed about the progress by way of submission of quarterly reports in the form and manner prescribed.

Surveyor's License No
 Date of Expiry
 Date
 Address
 Communication

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate Email ID

Signature Of Trainer

Date:
 Place:

FORM -IRDA-15
 QUARTERLY REPORT- FORMAT FOR DAILY DIARY
 (REG 16(3))

Important Instructions:

FORMAT FOR DAILY DIARY
 (TO BE MAINTAINED BY TRAINER SURVEYOR AND SUBMITTED ONLINE IN SOFT FORM ON QUARTERLY BASIS)

Report for the Quarter ending: _____ (MM/YYYY)

- Name of Trainee
- Address
- Communication

Phone Office	Phone Res.	Fax	Mobile	Email ID	Alternate

FORM-IRDA-17 AF
Reg [3(2)(C)]

APPLICATION FORMAT FOR GRANT OF MODIFIED LICENSE
INDIVIDUAL SURVEYOR

Important Instructions:

Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change, attach copies of documents as proof

o Name

Name of Firm/Company (wherever applicable)..... Remarks

o SLANO..... Expiry date..... Membership ID No..... level of Membership.....

o Present Address :

Address 1:..... Address 2:..... Address 3:.....
City/Town/Village :..... District:..... State:.....
Country:..... Pincode:..... Remarks:.....

Change in Licensee Name

o Incorporation of Sole Proprietary firm's Name :

Name of Firm :..... Remarks:.....

o Grant of Additional Departments :

Depts	Fire	Marine cargo	Marine Hull	Engg	Motor	Misc	Crop Insurance	LOP
Select	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

o Swapping of Departments :

Select	Current Department	Select New Department	License category(As per categorization)

Remarks:..... (should we delete this as we are removing the restriction in departments)

o Correction in the license already issued (where there is a typographical error in the license issued):

o Change in level of Membership allotted by the Institute

From To..... (Attach soft copy of Membership certificate issued by the Institute indicating such change/s and reasons thereof)

o Change in Personal information :

Phone No.(Res) Phone No. (Office): Mobile No.
e-mail: Alternate e-mail: Remarks:
.....

Signature of the applicant

Place....
Date....

FORM-IRDA-18
Reg [4(1)(xi)]

APPLICATION FORMAT FOR GRANT OF MODIFIED LICENSE CORPORATE SURVEYOR

Important Instructions:

Any change in the information submitted to the authority must be informed to the authority within 15 days from date of the change, attach copies of documents as proof.

Select Modification Type

- Name

Name of Firm/Company Remarks
 Corporate License No Expiry date

- Corporate/Registered Office Address :

Address 1: Address 2: Address 3:
 City/Town/Village : District: State:
 Country: Pincode: Remarks:

- Branch Office Address :

Select Branch Pune Satara Nasik
 Address 1: Address 2: Address 3:
 City/Town/Village : District: State:
 Country: Pincode: Remarks:

- Change in Director/Partner Details :

Add new Director/Partner Remove existing Director/Partner Modify existing Director/Partner

- Change in employee :

Add new employee/s Remove existing employee/s

- Change in Share holding pattern and Promoter(s)

- Correction in the license already issued (where there is a typographical error in the license issued):

- Change in the level of Membership allotted by the Institute to the director(s)/partner(s)

From To (Attach soft copy of Membership certificate issued by the Institute indicating such change/s and reasons thereof)

- Opening of branch offices/any other office by corporate surveyor

- Change in Personal information :

Phone No.(Res) Phone No. (Office): Mobile No.
 e-mail: Alternate e-mail:
 Remarks:

Signature of the director/partner
 Seal of the company

Date:
 Place:

T. S. VIJAYAN, Chairman
 [ADVT. III/4/161/12/Exty.]